राजस्थान विधान सभा

६१वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २५ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-९ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६२१

पुलिस स्टेशन भगातड़ा (त० सांचोर) के निकट बहने वाली सुखड़ी नदी से गांव व थाने को खतरा

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि तहसील सांचोर पुलिस स्टेशन भवातड़ा के पास से बहने वाली सुखड़ी नदी में से जो डाक नाला निकला है उसमें ज्यादा बरसात या नदी के आने से गांव और पुलिस स्टेशन के बह जाने का ज्यादा खतरा है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक वह नाला बंधवाया जा सकेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना मांगी है, पर आ नहीं पाई है । आने पर सूचना दी जायगी ।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार के पास सूचना आने में इतना अत्यधिक विलम्ब होता है कि १५ दिन पहले प्रश्न का नोटिस दिया जाता है तो भी सूचना नहीं आ पाती ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दिया जायगा । हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग सकता है । नेक्स्ट ।

Page No.2

प्रश्न संख्या १६२२

सिवाना व पचपदरा तहसीलों में पतरों के ठेकेदारों की नियुक्ति

श्री मोटाराम चौधरी—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सिवाना व पचपदरा तहसीलों में पतरों का आज तक कोई ठेकेदार नियुक्त नहीं हुआ है ?

(ख) क्या काश्तकारों को इस प्रकार ठेका न देने से पतरे ज्यादा कीमत देकर खरीदने पड़ते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है ?

(ग) क्या सरकार अब शीघ्र ही ठेका देने की कृपा करेगी जिससे काश्तकारों को इस ओर राहत मिल सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) सिवाना व पचपदरा में लोहे का स्टॉकिस्ट नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) तहसीलों में लोहे के स्टॉकिस्ट नियुक्त करना सम्भव नहीं है।

(ग) तहसील के लोग अपने डिविजन के हैड क्वार्टर के स्टॉकिस्ट से माल कन्ट्रोल रेट पर लेते हैं, अधिक कीमत देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सम्बन्ध में हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक स्टॉकिस्ट नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यदि आयरन एन्ड स्टील कन्ट्रोलर कलकत्ता ने माल लिया तो शीघ्र ही यह स्कीम चालू की जायेगी। हर तहसील में एक स्टॉकिस्ट रखना लोहे की मात्रा कम होने के कारण संभव नहीं है।

श्री मोटाराम चौधरी—आपने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर स्टोक दिया गया है, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि बाड़मेर के कौनसे व्यापारी के पास कोटा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय सदस्य मेरे उत्तर को पूर्ण तौर से समझ नहीं पाये। मैंने यह कहा कि वहां पर नियुक्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, मैंने यह नहीं कहा कि नियुक्त कर दिया गया है।

श्री मोटाराम चोधरी—कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कलकत्ता के आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर को माल मिल जाने पर।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि लोहे के कन्ट्रेक्टर मुकर्रर नहीं होने के कारण सारा लोहा वहीं हजम कर जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—लोहा हजम नहीं होता। (हंसी)

श्री तेजमल बापना—लोगों को दिया नहीं जाता।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—दिया जाता है।

श्री तेजमल बापना—दिया जाता जरूर है, पर सरकारी रेट है उससे अधिक कीमत पर दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या १६२३

ग्राम बुदावली (त० गंगानगर) में मुसलमानों की भूमि ५०-५१ में एलॉट होना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पुनःसंस्थापन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गांव बुदावली तहसील गंगानगर में मुसलमानों की भूमि साल १९५०—५१ में किनको अलाट हुई थी ?

(ख) उन शरणार्थियों से उस भूमि की पैदावार किस आधार पर जमा करवा ली गई थी, और वह पैदावार सरकारी खजाने में कब जमा हुई ? यदि जमा नहीं हुई, तो उसके न जमा होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) दित्ताराम बानरी पार्टी को अलॉट हुई थी।

(ख) गांव के काश्तकारों ने उजर उठाया कि यह अलोटीज़ (allottees) शरणार्थी नहीं हैं और उन्होंने अपना हिस्सा पैदावार ६ रु० बीघा की दर से फरोक्त कर दिया है, इसलिये यह १।३ हिस्सा पाने के भी हकदार नहीं हैं। यह एतराज लैंड एलॉटमेंट रिव्यू कमेटी के जेर तहकीकात रहा और आखिरी फैसला होने नहीं पाया था कि कमेटी टूट गई और कागजात सीनीयर सेटलमेंट ऑफिसर गंगानगर के दफ्तर में मुन्तकिल हुए, जहां से अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। इस रकबा की फसल का तहसीलदार मौका ने तो फैसला प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुपर्द कर दिया हिस्सा पैदावार

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सुपर्दार के पास है और जिसके हक में फैसला होगा उसे मिल जावेगी। सरकारी खजाने में यह रकम नहीं जावेगी।

श्री गुरूदयाल सिंह संधु—क्या यह सच है कि उनके कब्जे में जमीन रही ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—जब उन्हें शरणार्थी मानकर और जब जमीन उनके कब्जे में है तो उनको क्यों नहीं दे दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तक फैसला नहीं हुआ है, फैसला होना बाकी है।

श्री गुरूदयालसिंहसंधु—फैसला किस बात का होना बाकी है। आया वे शरणार्थी हैं या नहीं, इस बात का फैसला बाकी है या उनको रुपया नहीं दिया जाय या दे दिया जाय इस बात का फैसला बाकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह फैसला कि ये रिफ्यूजी हैं या नहीं, यह भी बाकी है और उनको क्या हक मिलने चाहिये यह भी बाकी है; ऐसा जवाब से जाहिर होता है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—रकम किस आदमी के पास है, क्या सरकार उसका नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जिस आदमी के पास रकम है उसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन वह एक प्रतिष्ठित आदमी के पास है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—यह रकम दूसरे के पास जमा क्यों कराई गई और सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा कराई गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्योंकि दूसरे का हक होना जाहिर हो रहा है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—इस रकम का किन २ आदमियों ने फायदा उठाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सरकारी रकम नहीं है, इस रकम का सरकारी रकम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जिस आदमी के पास रकम जमा है उससे ब्याज की रकम वसूल की जावेगी ?

श्रीमोहन लाल सुखाड़िया—क्यों की जावेगी ?

श्री गुरुदयालसिंह संधु—अगर फैसला नहीं हुआ तो उनका अभी तक कब्जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु —जिनके पास जमीन है उन लोगों के पास क्या सुबूत है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच हो रही है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जिन रिफयूजी को वह जमीन एलोट की गई है उन्हें क्या रिफयूजी करार दे दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि आपने शुरू का जवाब नहीं सुना, मैंने कहा है कि जांच हो रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार यह रकम सरकारी खजाने में लेने के लिये तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच के खत्म होने से पहले नहीं।

प्रश्न संख्या १६२४ और १६२५

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६२६

हादिया ग्राम (त० अराई) के तालाब पर व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में हादिया ग्राम (तहसील अरांई) के तालाब हनुमानसागर पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त तालाब के पीछे कितनी जमीन है ? उक्त वर्ष में कितनी जमीन की पिलाई की गई ?

(ग) सिंचाई की गई जमीन में कुए की जमीनें कितनी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) ५३-५४ के वर्ष में तालाब हनुमानसागर पर २५३३) रु० खर्च किया गया।

(ख) तालाब हनुमानसागर के पीछे २०० बीघा जमीन है, जिसमें कि ५३–५४ के वर्ष में ७० बीघा जमीन की पिलाई की गई है।

(ग) सिंचाई की गई जमीन में कुए की जमीन १॥)४ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि २०० बीघा जमीन जो इसके पीछे हैं उसमें से सिर्फ ७० बीघा नहरी और बाकी सब कुओं की जमीन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह खर्चा कुओं की जमीन को आबपाशी के लिए किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा है कि यह जमीन की आबपाशी के लिए किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तालाब के पीछे नहरी जमीन कम है और कुओं की जमीन ज्यादा है और नहरी जमीन की कम सिंचाई होती है और कुओं की जमीन को सिंचाई ही ज्यादा होती है !

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने पहले कहा है कि यह खर्चा कुओं की जमीन की सिंचाई के लिए नहीं किया गया बल्कि जमीन की आबपाशी के लिए किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस ग्राम के दूसरे तालाबों की मरम्मत नहीं कराई गई जिनके लिए मरम्मत कराना बहुत जरूरी था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जैसी जैसी जरूरत सामने आई उन उन तालाबों की मरम्मत कराई गई।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—क्या नहरी जमीन जिसके पीछे अधिक हो उसको मरम्मत कराने की अधिक आवश्यकता है या जिसके पीछे कूओं की जमीन ज्यादा हो उसकी मरम्मत को आवश्यकता अधिक मानते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जहां कूए नहीं है....

एक माननीय सदस्य—इस जमीन से क्या हासिल आता है ?

प्रश्न संख्या १६२७

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोतीलाल चौधरी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६२८

किशनगढ़ सब डिविजन में सिंचाई के तालाब तथा उनका जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में सिंचाई के तालाबों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त तालाबों में से ५३-५४ के वर्ष में किन किन तालाबों की मरम्मत कराई गई है ?

(ग) ऐसे कितने तालाब हैं, जो मरम्मत तलब हैं और वे कहां कहां हैं ?

(घ) उक्त तालाबों की मरम्मत कराने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) किशनगढ़ सब डिविजन में सिंचाई के तालाब १०६ हैं।

(ख) उक्त तालाबों में से ५३ : ५४ के वर्ष में १८ तालाबों की मरम्मत कराई गई, जिनका विवरण संलग्न है।

(ग) कुल ८८ तालाब मरम्मत तलब हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी है।

Page No.8

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) सिंचाई विभाग के बजट के अनुसार उक्त तालाबों में जो तालाब अति आवश्यक है, उनकी मरम्मत पहले की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—कौन कौन से तालाबों को सरकार आवश्यक मानती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल –आवश्यक तो सभी ८८ को मानती है।

श्री चांदमल मेहता—जब आवश्यक सभी ८८ को मानती है तो इनकी मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बहुत जल्दी।

श्री चांदमलमेहता—"बहुत जल्दी" से क्या यह उम्मीद की जावे कि इसी साल उनक मरम्मत हो जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं।

श्री चांदमल मेहता—ये तालाब कितने समय से मरम्मत तलब हैं।

श्री टीकाराम पालीलाल—यह मेरी जानकारी में नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—अब तक इनकी मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले ये स्टेट के पास थे, अब जब राजस्थान बना, उसके बाद मरम्मत के लिये जानकारी हासिल की गई।

एक माननीय सदस्य—क्या राजस्थान के निर्माण के बाद यह वक्त जानकारी हासिल करने में लग गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें से बहुत सारा समय जानकारी हासिल करने में लगा।

श्री जवान सिंह—क्या अकाल पड़ने की स्थिति में इन तालाबों की मरम्मत हो सकेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अकाल को रोकने के लिये उसकी मरम्मत की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—The questions are over we can start again !

Shri H. K. Vyas,

अनुपस्थित

Page No.9

[श्री अध्यक्ष]

Shri Motilal Chowdhry.

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह—श्री एच. के. व्यास के प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिये। यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इसलिये इसका उत्तर हो जावे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—We go only by the rules.

(राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ अग्रेतर खण्डश विचार-विमर्श)

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर (बाधा)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Just on the pointof order, if there is no objection we may take those clauses which are pending.

श्री अध्यक्ष—16A is also pending.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—That is under consideration at present. We hava left certain clauses...

श्री अध्यक्ष—We can finish discussion on 16A and then we can take other clauses If the Hon'ble Minister likes we can take the pending clauses first ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Let us finish this clause.

खण्ड १६ ए

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो क्लॉज़ है वह कल से सदन के सामने विचार के लिए रखा हुआ है। उस पर काफी बहस भी हुई थी। एक संशोधन मेड़ता से आने वाले एक सदस्य ने रखा और बीकानेर से आने वाले एक सदस्य ने उसका जवाब भी दिया था। मैंने पहले जब क्लॉज़ १६ (ए) पढ़ा और उसके बाद में क्लॉज़ १३१ को पढ़ा तो मुझे बिलकुल समझ में नहीं आया कि ये क्या विचार हैं। एक ओर क्लॉज़ १६ (ए) में यह निश्चय किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी सब टिनेन्ट या गैर खातेदार के पास जो मिनिमम लिमिट है उससे ज्यादा यदि जमीन है तो वह उसके अधिकार से निकाल दी जावेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लें कि तीस एकड़ की मिनिमम लिमिट है और यदि उस गैर खातेदार काश्तकार के पास ४०

[श्री तनसिंह]

एकड़ जमीन है तो वह १० एकड़ पर से बेदखल कर दिया जावेगा। यदि १६ ए को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि यदि किसी सब टिनेन्ट या गैर खातेदार टिनेन्ट के पास मिनिमम लिमिट से अधिक जमीन है तो वह खातेदारी राइट्स के लिए एप्लाई कर सकता है। एक ओर तो क्लॉज १३१ के तहत में मिनिमम लिमिट से अधिक जमीन होने पर उसे बेदखल कर दिया जावेगा और उस भूमि पर खातेदार का कब्जा रखा जायगा लेकिन इस क्लॉज १६ ए के मातहत मिनिमम लिमिट से ज्यादा होने की हालत में उसको खातेदारी राइट्स हांसिल हो सकेंगे। इस तरह से इसका उद्देश्य मालूम होता है। लेकिन सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का जो उद्देश्य है उसके देखने से स्पष्ट हो जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि सिर्फ यहां पर 'Not' शब्द लगा देने से इसकी जो मंशा है वह हल हो जायगी, इसका जो तात्पर्य है वह पूरा हो जाता है। और वह उसी प्रकार क्लॉज बनेगा और उसमें मेड़ता से आने वाले सदस्य का जो अमेन्डमेन्ट है उसका कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सिलेक्ट कमेटी की मंशा के विपरीत है। या यों कहिये कि ऐसी तरकीब निकाली गई है कि इंडोचीन में बैठे हुए को भाले से यदि मारना हो तो यहां से बैठे बैठे मार सकते हैं। अगर क्लॉज १३१ के असर को मारना हो तो उसको नष्ट करने के लिए क्लॉज १६ (ए) से ही समाप्त कर दिया जाय। इसके द्वारा हम चाहते हैं कि यदि सब टिनेन्ट के पास मिनिमम लिमिट से अधिक जमीन भी है तो उसको उसके खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे चाहे उसका जो खातेदार टिनेन्ट है या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है, जिससे उसने लेन्ड ली है उसके पास मिनिमम लिमिट से जमीन कम हो। उसको चाहे मिले या न मिले लेकिन सब टिनेन्ट को तो मिलना ही चाहिए। तो यह बात टिनेन्सी एक्ट में बिल्कुल ही नयी है। इसके साथ साथ मैंने इस अमेंडमेंट में एक बात और देखी है और वह यह है कि मेरी भले ही दोनों आंखें फूट जांय किन्तु पड़ौसी की एक आंख तो फूटनी ही चाहिए। यदि काश्त के लिए जमीन खातेदार द्वारा किसी सब टिनेन्ट को दी हुई है तो वह उस पर खातेदारी राइट्स हासिल कर सकता है और उसके साथ ही साथ जो खातेदारी टिनेन्ट को हकूक प्राप्त हैं वे उसको मिल जावेंगे। यानि खुदकाश्त के टिनेन्ट ने अपनी जमीन किसी को सब लेट कर दी है तो उस पर सब टिनेन्ट को हक प्राप्त हो जावेंगे और जिसके नाम खुदकाश्त है उसको हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन माननीय सदस्य को यह ख्याल नहीं है कि यदि रात को घास उखाड़ते हैं तो उसके साथ धान भी उखड़ जायगा।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी क्या मंशा यही है कि टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और खातेदार को कोई संरक्षण इस एक्ट में न दिया जाय? उसने कुछ साल पहले यदि अपनी जमीन सब लेट कर दी है तो इस प्रकार उसका दुर्भाग्य ही है। जो सब टिनेन्ट है, उसको तो अधिकार मिलने ही चाहिए। यदि इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह किया होता कि खातेदार टिनेन्ट के लिए भी कोई प्रोविजन रखा होता तो उसकी मंशा साफ हो जाती। लेकिन यदि उनकी मंशा केवल खुदकाश्त टिनेन्ट को ही महरूम करने की है तो फिर उसके साथ साथ यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, कि जैसा कि कल माननीय श्री गोपीलालजी

[श्री तनसिंह]

ने सुझाव दिया कि यह जो गलत फहमी इस ड्राफ्टिंग के कारण हुई है वह यही हो सकती है कि क्लॉज़ १३१ को शुरू में पढ़ने पर यही समझ में आता है और जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि उसके बाद इस प्रोविजो को पढ़ने से इस क्लॉज़ की मंशा स्पष्ट हो जाती है। इस क्लॉज़ की मंशा यह है कि यदि किसी खातेदार टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त पर मिनिमम लिमिट से ज्यादा जमीन है तो जो जमीन सब टिनेन्ट को सब लेट की हुई है या जिसके कब्जे में जमीन है वह अपने खातेदारी हकूक इस क्लॉज़ से प्राप्त कर सकता है या ऐसी सूरत में यदि सब टिनेन्ट के पास ज्यादा जमीन है तो खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त टिनेन्ट अपने लिए लिमिट तक ही रख सकता है और इस क्लॉज़ के जरिये से उसको, यानि सब टिनेन्ट को लिमिट से ज्यादा जमीन होने पर खातेदारी के हकूक प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि सब टिनेन्ट के पास अधिक जमीन भी है तो वह खातेदारी हकूक प्राप्त कर सकता है। यह तो यही हुआ कि दुकानदार तो जाय भाड़ में और खरीददार उसका मालिक बन जाय। तो यह उल्टी बात होगी। यदि माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ को इसी मतलब से रखा है तो मैं निवेदन करूंगा कि वह इस एक्ट की मंशा के विरूद्ध है, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के भी विरूद्ध है और सामान्य सिद्धान्तों से, सामान्य न्याय और सामान्य परम्पराओं के भी विरूद्ध है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी एक को नुक्सान पहुँचाने के लिए ही यह संशोधन रखा हो तो कम से कम यह देखना चाहिये कि हम खुद तो नुक्सान नहीं उठाने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि किसी खुदकाश्त टिनेन्ट के पास जमीन न हो, किन्हीं मजबूरियों में चाहे हमने प्रोविजन्स रखा हो कम उम्र के बच्चों के लिए, या उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालयों या विश्व विद्यालयों में पढते हों और ऐसे लोगों को सब लेट करने की छूट दे दी हो किन्तु इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसी व्यक्ति ने मजबूरी में आकर अपनी जमीन को सब लेट कर दिया हो तो उस हालत में इस अमेंडमेंट को लाने का मतलब होता है कि अभी तक जो कुछ हमने पास किया है उन सब पर हम पानी फेर रहे हैं। अभी जो कुछ हमने पास किया है, तय किया है उनको, खुदकाश्त राइट्स न हो, सैद्धान्तिक रूप से न हो, तो हम यह सब छीनना चाहते हैं केवल इसके जरिये से। इससे तो यह होगा कि हमने कुछ नहीं दिया। आज तक जो हमने पास किया है और आगे आने वाला जो कुछ है और उसके साथ साथ सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मद्दे नजर रखते हुए गहराई से सोचें, अनुभव करें तो मालूम होगा कि माननीय सदस्य को गलत फहमी हो सकती है और स्पष्टीकरण किया गया है उसको देखते हुए जो गलत फहमी हुई है उसकी वजह से वे अपने संशोधन को वापिस लें। सदन इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे और माननीय मंत्री महोदय भी सदन के साथ विचार करके निर्णय करें। यह संशोधन सदन के सामने विचारार्थ रखा गया है उसको, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो पेश की गई है उसको, और इससे सम्बन्धित जो बातें हैं उन सब को साथ रख कर विचार करें, अथवा उन सब को देखा जाय तो यह उनसे भिन्न एक ऐसा संशोधन है जो सामान्य न्याय के सिद्धान्त पर कुठाराघात करता है। मैं इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैंरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, कल जिस विषय को लेकर इस सदन में बहस चल रही थी और आज भी उसी विषय पर बहस आरम्भ हुई है उसका सारांश जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि राजस्थान में कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में हम गम्भीरता से विचार करें तो हमें ऐसे नियम बनाने हैं जिससे राजस्थान में उत्पादन बढ़े और उत्पादनकर्ताओं को विशेष सुविधायें प्राप्त हों। इस विषय में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं कि राजस्थान में उत्पादन किस प्रकार बढ़े और किस प्रकार से उत्पादनकर्ताओं को सुविधायें प्रदान की जायं। एक मत यह हो सकता है कि जो उत्पादनकर्ता है, उस उत्पादनकर्ता की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिये, उसको जो सुविधायें प्राप्त हैं वे ज्यादा बढ़ाई जांय। दूसरा यह दृष्टिकोण हो सकता है कि जो उत्पादन करने की शक्ति है उसको ज्यादा बढ़ायें, उत्पादनकर्ता की शक्ति को ज्यादा सहयोग दें और ज्यादा सुविधायें प्रदान की जाय। क्लॉज़ १६ के जो शब्द हैं उसमें यह अधिकार है कि जो लोग खास तौर से काश्त करते हैं या काश्त करने के साधन जुटाते हैं या अपने खुद की मेहनत से काश्त करते हैं इसके लिये है। कल जब इस क्लॉज़ पे दो संशोधन सामने आये उन दोनों संशोधनों में अलग अलग विचार-धारायें व्यक्त थीं। उनमें से एक संशोधन जिसके मन्जूर होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती थी किन्तु उस संशोधन की आड़ में जो बातें कहीं गई उस संशोधन के कारण नहीं उसकी आड में जो चीजें कहीं गई उससे जबर्दस्त भ्रान्ति पैदा हो सकती है और यहां तक कि जिन माननीय सदस्य ने यह विचारधारा रखी मैं उनसे एक बात से सहमत हूं कि अपने पार्टी के विचारधारा के कारण पार्लियामेंट में या किसी विधान सभा में ऐसी बातें हमें अवश्य रखनी चाहिये जो लोगों को देखने में आकर्षक हों और जो देखने में जितनी आकर्षक हों उतनी ही व्यवहार में घातक हों। जब व्यवहार में वास्तव में कोई चीज़ घातक नहीं होती है जो माननीय सदस्य का राजनैतिक दृष्टिकोण है उसके समर्थन के लिए किसी प्रकार के वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। जो कुछ भी आप कहते हैं उस दृष्टिकोण में वास्तविकता क्या है? अगर यह दृष्टिकोण व्यवहार में आये तो उसका नतीजा क्या होगा? उससे समाज में असन्तोष व्याप्त होगा या नहीं? दुनिया उसके जरिये सरकार को कोसेगी या नहीं? कानून बनाने वालों को कोसेगी या नहीं? इस प्रकार का दृष्टिकोण या इस प्रकार की जो विचार धारा रखी है वह दृष्टिकोण पार्टी प्रचार के लिए जब प्रश्न आता है तो बिल्कुल ठीक है। हमें राजस्थान के काश्तकारों की स्थिति सुधारने और उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ाने की सारी बातों पर विचार करना होगा। एक संशोधन नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और उन्होंने उस पर वक्तव्य देते हुए कहा कि मैंने जो दृष्टिकोण इस अमेन्डमेन्ट में रखा है वह बिल्कुल प्लानिंग कमीशन का दृष्टिकोण है। प्लानिंग कमीशन की मन्शा है कि जमीन सब टिनेन्ट की हो, उसको ज्यादा रिलीफ दिया जाय। मैं भी यह मानता हूं कि जितने भी कृषि सम्बन्धी कानून बनते हैं या बनाने जा रहे हैं कोई भी प्रगतिशील सरकार हो वे कानून एक ही प्रकार के होंगे। उनका लक्ष्य होगा कि जमीन जोतने वाला ही उसका मालिक हो। यही लक्ष्य सब का रहता है। लक्ष्य बहुत सुन्दर है। काश्त जो करता हो उसको जमीन का हक मिले, जो अपने हाथ से मेहनत करता है वही उसका उपभोग करे। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उस स्टेज़ तक पहुँचने तक जो पुराने सिस्टम ले रहे हैं, उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो हमें किन किन दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा और उन कठिनाइयों

[श्री भैरूं सिंह]

को दूर करने के लिए क्या साधन हो सकते हैं ? इस पर विचार करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि वे साधन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यह कि जितनी ताकत से जनता की आवाज को किसानों की सुख सुविधा को छोड़ते हुए अगर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने एम (aim) पर पहुंचने में बाधा उपस्थित होगी। इससे किसी भी प्रकार कृषि उत्पादन शक्ति, उसके साधन एवं कृषकों की हालत को ठीक करने में उपयोग नहीं होगा। लक्ष्य की ओर अगर आपको पहुंचना है तो वह ऐसे सुन्दर ढंग से हो कि जिससे न तो जनता का नुकसान हो और न काश्तकारों का अहित हो, तभी देश और समाज का हित हो सकता है। हम आज यह कर रहे हैं कि अमीर को गरीब बना रहे हैं और गरीब को गरीबी हालत में ही रखना चाहते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाना चाहिए कि अमीर है वह अमीर रहे, किन्तु जो गरीब है उसको अमीर बनाना चाहिये। जो विचारधारा किसी प्रकार से दूसरों के लिए घातक हो वह विचारधारा हमें अपनानी नहीं चाहिये। जितने भी जिस प्रकार के संशोधन आये प्लानिंग कमीशन की आड़ लेकर, व्यवहारिकता की आड़ में आये। ये जो संशोधन हैं वे किसी भी प्रकार से देश में जो कृषि की हालत है उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। देश की कृषि की आय को बढ़ावा न देना यह देश के भले के स्थान पर उसका नुकसान है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो संशोधन की आड़ में बात कही थी वह मैंने आपके जरिये सदन के सामने रखी। इसी प्रकार संशोधन की आड़ में एक विचारधारा और आई और वह यह कि जागीरदारों को हम कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। कम्पेन्सेशन देने का मैं भी विरोधी था और जिन माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वे भी विरोधी थे। उन्होंने यह कहा था कि कम्पेन्सेशन जागीरदारों को इसलिए नहीं दिया जाय क्योंकि उनकी जागीरों पर उनका पैतृक सम्पत्ति के रूप में कोई अधिकार नहीं था, प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं, इसलिए उनको जागीरी लेने की एवज में किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन न दिया जाय। यह कोई उन्होंने कृपा नहीं की बल्कि विधान की सीमाओं में बंधे हुए थे इसलिए सरकार को मजबूर होना पड़ा और कम्पेन्सेशन देने का तय किया गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि हमने खुदकाश्त के लिए कम्पेन्सेशन दिया...

श्री अध्यक्ष—आप असंगत बातें कर रहे हैं ?

श्री भैरों सिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह असंगत नहीं है, माननीय अध्यक्ष। ये बातें कल इसी क्लॉज़ पर उठाई गई थीं जिन पर कहना आवश्यक हो गया है। मैं उसी स्कोप में डिसकस कर रहा हूँ जिस स्कोप में कल कार्यवाही हुई थी। यह कहा गया कि खुदकाश्त के लिये भी कम्पेन्सेशन दिया गया और यह भी कहा गया कि टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी के राइट्स देने हैं इसलिए दुबारा कम्पेन्सेशन देने की बात भी कही गई। सुनने को तो यह बात बड़ी सुन्दर मालूम देती है कि खुदकाश्त के नाम पर कम्पेन्सेशन दिया गया और ऑल राइट्स, टाइटल्स एण्ड इन्ट्रेस्ट्स कम्पेन्सेशन देने के बाद खत्म हो गये, तो फिर दुबारा कम्पेन्सेशन किस बात का ? टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को कम्पेन्सेशन देने के सिलसिले में जागीरी रिजम्प्शन एक्ट के क्लॉज़

[श्री भैरूसिंह]

१० को देखते तो मालूम होता कि जिस वक्त जागीरी खत्म होती, जिस जमीन पर जिस जागीरदारी पर जो जमीन खुदकाश्त के नाम से काबिज़ है वह खुदकाश्त की तरह ही काबिज़ रहेगा। उसको खातेदार के राइट्स हासिल हो जाते हैं जैसा कि जागीरदारों के ऑल राइट्स, टाइटल्स एण्ड इन्ट्रेस्ट्स खत्म नहीं होते बल्कि हम उसके लिये कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। हम जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं वह जो रेन्ट या लगान वसूल करते थे उसका मुआवजा दे रहे हैं। उन अधिकारों से जो आपने उन्हें वंचित किया है उसको कम्पेन्सेट करने के लिये यह कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। जागीरी रिज़म्प्शन एक्ट के क्लॉज़ १० को देखते हैं तो उसमें साफ मालूम पड़ता है कि जागीरों के रिज़्यूम हो जाने पर खुदकाश्त की जमीन पर उनको खातेदारी राइट्स एक्रू हो जाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब पंत रिपोर्ट के पेज़ २४ पर स्पष्ट लिखा है, फिर भी गलतफहमी पैदा करने की क्यों कोशिश की गई? इस क्लॉज़ में साफ लिखा है "In other words the Jagirdars will retain khudkasht." "रिटेन" शब्द का जो प्रयोग किया है उससे इसमें संकोच करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह तो स्पष्ट चीज है कि जब आपने जागीरदारी खत्म की और उसका कम्पेन्सेशन मिल गया तो जब काश्तकारी के राइट्स को आप खत्म करते हैं तो लाजमी तौर से यह निश्चित है कि उसको उसका कम्पेनसेशन दिया जाय। न्याय की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हमें उसका कम्पेन-सेशन देना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे तथ्य की चीज नहीं थीं।

दूसरी बात अब यह आती है कि कम्पेन्सेशन अब कितना दिया जावे? यह चीज भी बड़ी सोचने की है।

राजस्थान की हालत आज बच्चा २ जानता है कि यहां के काश्तकार कितने गरीब हैं और राजस्थान के कृषि उत्पादन के जितने साधन हैं वे कितने कम हैं और पैदावार भी यहां की कितनी कम है। इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यह हमें सोचना है। सरकार भी इसमें सहयोग देती है। कूए और नहरें आदि खोदी जावें और जमीन की उत्पादन-शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाये, इस प्रकार का प्रचार भी सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें कुछ कार्य भी उसके द्वारा हो रहा है। इसके लिए हरे-हरे वृक्ष भी लगाये जाते हैं, अच्छी खाद भी बांटी जाती है, तकावी और लोन भी बांटे जाते हैं, अच्छे बीज भी दिये जाते हैं, यह सब किया जाता है और इस सबका एक ही तात्पर्य है, एक ही दृष्टिकोण और एक ही लक्ष्य है कि इस राजस्थान की खाद्य स्थिति अच्छी हो, कृषि का उत्पादन बढ़े।

अब उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में लोगों को सहयोग कैसे दिया जावे, लोग स्वयं प्रोत्साहन लेकर कैसे उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का काम करें, यह हमें सोचना पड़ेगा।

आज जिस कानून के जरिये से हम सहारा देते हैं उस कानून को हमें ठीक तरह से बनाना होगा। एक आदमी का जमीन में हक है वह रहेगा, इस कानून की सीमा के अन्तर्गत। वह इस

[श्री भैरोंसिंह]

कानून के अन्तर्गत अपने हित को सुरक्षित समझ कर उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी जमीन पर इम्प्रूवमेंट करता है और उसको उस इम्प्रूवमेंट में भी हम सहायता देते हैं। पर अगर इस बीच एक या दो साल के लिये किसी आकस्मिक कारण से उसने अपनी जमीन पर खुदकाश्त करना छोड़ दिया और दूसरे को काश्त करने के लिए बता दिया तो ऐसी सूरत में हम कह देते हैं कि चूंकि तुमने एक साल के लिए भी सही तौर पर दूसरे को काश्त के लिए भूमि दे दी है इसलिए दूसरे का पजेशन अब नहीं हटाया जा सकता है और अगर यह स्थिति भी मान लें, पर अगर उस पहले काश्तकार को अगर हम थोड़ा बहुत भी कम्पेन्सेशन उस इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि उसने उस जमीन पर कृषि-उत्पादन की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया है, नहीं देंगे तो कोई आदमी प्रेरित नहीं होगा इस प्रकार उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट अपनी काश्त में करने के लिए, चाहे फिर वह खातेदार टीनेन्ट हो, सब टीनेन्ट हो, खुदकाश्त होल्डर हो या खुदकाश्त टीनेन्ट हो या गैर खातेदार टीनेन्ट हो, कोई हो। जब तक कानून उनकी इस मामले में रक्षा करने की गारन्टी नहीं देगा तब तक इम्प्रूवमेंट के बारे में उनको उत्साह नहीं मिल सकेगा, उनको तसल्ली नहीं हो सकेगी कि आज जो वे इम्प्रूवमेंट अपनी जमीन पर करते हैं और कल किसी आकस्मिक उलझनों के कारण से, बीमारी की वजह से या और किसी सामाजिक बन्धन के कारण से उस जमीन के साल, दो साल के लिए दूसरे को देनी पड़ जाय तो खातेदारी राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स आदि कानूनों के जरिये से राइट्स उसको मिल जावेंगे और उस स्थिति में उसे इस इम्प्रूवमेन्ट का कोई फायदा नहीं मिल सकेगा और इस विचार को लेकर कोई आदमी इम्प्रूवमेन्ट नहीं करेगा। तो आज सरकार को अपने कार्यों से और अपने प्रचार से किसान को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि जो कुछ भूमि में वह सुधार करेगा और जिसके जरिये से उपज बढ़ेगी उस उपज का उपभोग भूमि सुधार करने वाला भी प्राप्त कर सकेगा। जब तक इस प्रकार की तसल्ली और आश्वासन उस किसान को या इम्प्रूवमेन्ट करने वाले को नहीं मिलेगा तब तक वह किसी प्रकार का सुधार अपनी भूमि में करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो अगर उसको खातेदारी राइट्स इस आधार पर मिलते हैं कि वह एक-दो साल से उस जमीन पर काबिज है तो हमें एक दृष्टिकोण और अपनाना पड़ेगा कि जो कुछ उस पहले वाले काश्तकार या खातेदार टीनेन्ट ने या खुदकाश्त होल्डर ने अपनी भूमि में सुधार किया है उसको उसके इस इम्प्रूवमेन्ट का पैसा मिल चुका है या नहीं, उसको उसका एवजाना मिला है या नहीं? अगर उसको एवजाना नहीं मिला है तो वह एवजाना मिलना चाहिये। यह एवजाना आपको कानूनन उसको दिलाना चाहिए। इस तरह का प्रोवीजन इस कानून में आपको रखना चाहिये। अगर ऐसी फेसीलिटीज़ मिलती रही तो भूमि में उत्पादन करने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा और वे लगातार भूमि में सुधार करते रहेंगे।

अब जहां तक सब टीनेन्ट का सवाल है मेरे माननीय मित्र श्री नाथूरामजी ने एक संशोधन रक्खा कि खातेदारी राइट्स उन लोगों को दिलावेंगे जो गवर्नमेन्ट स्केल प्रेसक्राइब करे उस भूमि से कम नहीं है, उसमें खातेदारी राइट्स उसे दिला देंगे और ज्यादा है उसमें नहीं दिलावेंगे। हमने इससे

Page No.16

[श्री भैरु सिंह]

पहले इस सदन में एक कानून बनाया था, प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेन्टेशन एण्ड कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज एक्ट और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो वे इस चीज के बारे में सोचते और इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी के बारे में सोचते। एक आदमी के पास सौ बीघा जमीन है। उस सौ बीघा को वह दूसरे को काश्त करने को देता है: अब गवर्नमेन्ट ने स्केल प्रेस्क्राइब किया ९० बीघा का, अब ९० बीघा तो हमने दे दी। किसको? उस सब टीनेन्ट को जो एक-दो साल में सब टीनेन्ट होने के कारण हकदार हो जाता है। और हटाया किसको? जो वर्षों से उस पर काबिज था। इस संशोधन से यह होगा कि अब इस स्केल प्रेस्क्राइब से जो ज्यादा जमीन है वह दस बीघा तो मिलेगी उसको जो वर्षों से उस पर काबिज था और ९० बीघा की खातेदारी मिलेगी उसको जो एक-दो साल के लिए काबिज हुआ है। क्या यह न्याय है? यह न न्याय है और न व्यवहारिकता है। यदि इस प्रकार के कानून को राजस्थान में लागू किया गया तो फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्स तो होगा ही पर ऐसे आदमियों को जो आज तक जागीरदार थे और जो आज अपनी जागीरों को छोड़कर जावेंगे या कई टीनेन्ट्स ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अपनी भूमि पर इम्प्रूवमेन्ट कराये हैं किन्हीं कारणों से, बीमारी की वजह से या सामाजिक कठिनाइयों के कारण से दूसरे आदमियों से काश्त करवाते हैं, उन पर इससे एक प्रकार का बड़ा अन्याय होगा। आपने सब टीनेन्ट को खातेदार बनाकर जो कम्पेन्सेशन उसको मिलने वाला है आइन्दा के लिए उस इम्प्रूवमेन्ट के एवज में उसको रोक दिया है। ऐसी स्थिति में वह यह कहेगा कि यह इम्प्रूवमेन्ट हम क्यों करें, क्योंकि अगर आगे चलकर इस पर सबटीनेन्ट काबिज हो गया तो फिर सरकार से हमें किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन दिलाये जाने की आशा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तो निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मेरे माननीय मित्र श्री मथुरादासजी ने पहले कहा था कि पहले तो कानून बनाते समय हम चले थे नीचे होकर पर मैं कहता हूँ कि अब हम चल रहे हैं ऊपर होकर। पहले एक कानून का सिर ऊपर था और इस संशोधन से कानून का वह सिर नीचे कर दिया गया है और पैर ऊपर कर दिया है। पहले इस कानून का संशोधन इस प्रकार था :

"which is in excess of the land prescribed by the Government".

जो स्केल गवर्नमेन्ट प्रेस्क्राइब करे, जैसे ९० बीघा कर दिया, यदि उससे ज्यादा १२० बीघा है तो बाकी तीस बीघा जो जमीन है उसमें उसको खातेदार राइट्स मिल जावेंगे। पर जहां तक ९० बीघे का सवाल है उस पर जो खातेदार टिनेन्ट दरअसल में काबिज था, होता आया है और जिसने उस जमीन में सुधार किये हैं उसको खातेदारी राइट्स रहेंगे। इसको हमने ये खातेदारी राइट्स क्लॉज़ ३ में दिये हैं। तो यह ९० बीघा देंगे उसको जो काबिज रहा है और खातेदारी टिनेन्ट है और ३० बीघा देंगे उसको जो सब टिनेन्ट है। पर इन्होंने संशोधन रखकर इस चीज को बिल्कुल ही उल्टा दिया है। और इसके लिए कहा जाता है कि इस प्रकार का प्लानिंग कमीशन का सुझाव है। पर मेरा यह कहना है कि प्लानिंग कमीशन को भी तो आखिर सुझाव देने वाले ऐसे ही लोग होंगे।

[श्री भैरोंसिंह]

राजस्थान में इन्हीं लोगों के सम्पर्क में वे ज्यादा रहे, टेलीफोन से भी अगर कह दिया तो चल गया। पर मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से जमीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए काश्तकार को प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष--फिर आप असंगत जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के बारे में आप पहले भी काफी कह चुके हैं।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—नहीं साहब, रिपिटीशन तो नहीं है। तो इस सारी चीज में प्लानिंग कमीशन को सुझाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। दर असल जिन लोगों के बीच में वे अधिक रहे उनसे प्रभावित तो होते ही, और प्लानिंग कमीशन के सामने भी इसी प्रकार की विचारधारा आ सकती थी। सब टिनेन्ट को किसी तरह से खातेदारी राइट्स दिलवा दिये। इसी प्रकार की चीजें प्लानिंग कमीशन के सामने आईं, दूसरा दृष्टिकोण उनके सामने नहीं आया। महज एक दृष्टिकोण को अपने सामने रखकर राजस्थान की स्थिति से परिचित कराया गया और बहुत मुमकिन है कि प्लानिंग कमीशन ने भी इसी बात से सहमत होकर यह रख दिया हो। पर प्लानिंग कमीशन की आड़ में ऐसी चीज करना राजस्थान की परिस्थितियों से बिल्कुल प्रतिकूल बात होगी और इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन किसी की शोभा नहीं बढ़ा सकता, न प्लानिंग कमीशन की शोभा बढ़ा सकेगा और न उनकी भी शोभा इससे बढ़ सकेगी।

वास्तव में हालत यह है कि लैण्डलैस को किसी तरह से एम्पलोयमेन्ट देना है। हमने जिस वक्त जागीरदारी खत्म की उस वक्त खातेदार टिनेन्ट को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया। जो भी पर्मनेन्ट टीनेन्ट थे वे खातेदार टीनेन्ट बने और जागीरदारी खत्म करने में तो जागीरदारों को ही काफी अधिक फायदा हुआ है। आपका अगर यह इन्टेन्शन है कि इससे जागीरदारों को नुकसान पहुँचे और खातेदार टीनेन्ट को प्रोटेक्शन दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सीकर का ही एग्ज़ाम्पल (example) देता हूं। इस वक्त वहां २२ हजार जागीरदार हैं। एक रुपये से लेकर पांच लाख और १६ लाख तक की भी आय वाले २२ हजार जागीरदार हैं मगर इनमें जिस प्रकार माननीय सदस्य का अगर यह इन्टेन्शन हो कि जागीरदारों को इससे नुकसान पहुँचेगा और खातेदार टीनेन्ट और सब टीनेन्ट को फायदा हो, तो यह बात नहीं है। इससे एक हजार जागीरदार ऐसे होंगे जिनको इससे नुकसान पहुँच सकता है और अधिक से अधिक तीन चार हजार हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी के तो जागीरदार नाम भर के हैं और जागीरदारी उनके लिए लाएबिलिटी ही थी। उनकी इस लाएबिलिटी को दूर करने में सरकार में भी सहयोग दिया और मेरा तो यह निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार ने उनकी इस लाएबिलिटी को दूर करने में सहयोग दिया उसी प्रकार उनको रिहैबिलिटेट करने में भी अगर सहयोग देगी तो उनके लिए फायदा पहुँच सकेगा। पर यहां पर महज उन एक हजार को नुकसान पहुँचाने के कारण; आज टीनेन्ट्स को, खातेदारी टिनेन्ट्स को भी और जितने और जागीरदार हैं, जिनकी कि संख्या एक डिस्ट्रिक्ट में २१ हजार से कम नहीं है उनको नुकसान पहुँचाने का दृष्टिकोण

[श्री भैरूंसिंह]

किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता। खातेदार टीनेन्ट का स्केल प्रेस्क्राइब कर दिया, ६० एकड मिल गई उसे। अब इसके बाद में सब टीनेन्ट रहता है। अगर सब टीनेन्ट के खुदकाश्त राइट्स की रक्षा कर दें आप, तो इस प्रकार सब टीनेन्ट के राइट्स भी ठीक हो जावेंगे। इसके बाद लैण्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए भी आपने रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिये। फिर अगर जमीन बच जावे तो उसमें उनको अधिकार दो, जो लैण्डलैस टीनेन्ट्स हैं ताकि वे भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। पर जो उल्टा न्याय चलाने का काम श्री मिर्धाजी ने किया है वह न्यायसंगत नहीं हो सकता। इस प्रकार के संशोधन से सब टीनेन्ट को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके बजाय जो कई सालों से जमीन पर काबिज था, उसके ऊपर वह हकदार है, उसके हक हकूक हैं, उस पर उसने रुपया इन्वेस्ट किया है, उसके साथ भी अन्याय होगा और इस हद तक ही यह अन्याय सीमित नहीं होगा और राजस्थान देश की खाद्य स्थिति पर भी इसका असर होगा; इस तरह इस बात से किसी का भी भला नहीं हो सकता।

दूसरा एक और उनका संशोधन था कि ६ महीने की मियाद उसमें कर दी जाय। तो उस संशोधन पर, माननीय अध्यक्ष, मेरा कुछ विरोध है। यदि ६ महीने की अवधि निश्चत कर दी गई कि यदि ६ महीने तक कोई सब टिनेन्ट दरख्वास्त नहीं दे सके तो उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे क्या हाल है? इस एमेंडमेंट के जिस प्रकार वर्डिंग्स हैं उन वर्डिंग्स को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो जो एक सबटिनेन्ट है उस सबटिनेन्ट को जिस प्रकार कि आर. पी. टी. ओ. में एक गलती हुई थी कि १ अप्रेल, सन् १९४८ को जो काश्तकार काबिज़ था वह उस कानून के मातहत संरक्षण पा सकता है, तो १ अप्रेल, सन् १९४८ के बाद चाहे २ अप्रेल या ७ अप्रेल को काबिज़ है तो इस कानून के मातहत किसी प्रकार से अपना संरक्षण नहीं पा सकता है। उसी प्रकार की एम्बीग्युइटी इस संशोधन में है। इस कानून के लागू होने के बाद जो सबटिनेन्ट ६ महीने के अन्दर अन्दर दरख्वास्त दे सकता है लेकिन ६ महीने की मियाद के बाद कोई सबटिनेन्ट या टेनेन्ट ऑफ खुदकाश्त किसी जमीन को सबलेट करता है तो वह खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए कब दरख्वास्त देगा, उसका क्या होगा और कब होगा। इस प्रकार के संशोधन से कई प्रकार की अड़चनें पैदा होंगी और अड़चने ही नहीं पैदा होंगी फिर एक संशोधन लाना होगा। जिस प्रकार कि आर. पी. टी. ओ. के कारण एक रिमार्क लगाया हाईकोर्ट ने उसी तरह का रिमार्क इस सरकार के ऊपर लगेगा, वह अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं है। वह बिना अवधि के ही दरख्वास्त दे और अगर उसको खातेदारी राइट्स मिलने वाले हैं तो मिलेंगे। इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स क्यों डालें इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मिर्धाजी से निवेदन करूंगा वे अपना संशोधन वापिस लेलें। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का एमेंडमेंट किसी तथ्य के आधार पर नहीं है, केवल एक एक्सप्लॉयटेशन के आधार को लेकर है। तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जिस क्लॉज़ पर कल से सदन में विचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि वह इस बिल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ है, और इस सम्बन्ध में जो माननीय नाथूरामजी ने एक एमेंडमेंट पेश किया है उस पर काफी वाद विवाद हुआ है।

दरअसल यह सिद्धांत का सवाल है कि हम अधिक हक आज के दिन किसका मानते हैं? बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम जागीरी प्रथा के मानसिक प्रभाव से पीड़ित होने के कारण कई संशोधनों को लाना चाहते हैं और उसमें वास्तविकताओं से दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विपरीत भी सत्य हो सकता है कि जो कुछ किया जाय वह जागीरदारों के खिलाफत में ही किया जा रहा है, यह समझ कर चलना भी उचित नहीं होगा। इसको एक उसूल की दृष्टि से देखा जाना चाहिये और उसूल यह है कि, जो दरअसल मेहनत करता है, और जिसने खेती करके उस जमीन पर अपनी जीविका का उपार्जन किया है और साथ ही साथ कुछ हिस्सा वह खातेदार या लेन्ड होल्डर ऑफ खुदकाश्त होने की वजह से देता रहा है, तो उन दोनों में से अधिकार किसको प्राप्त हो? आज के दिन जिस नीति पर हम राजस्थान में चल रहे हैं या देश चलना चाहता है वह निश्चित तौर से यह नीति है कि जो जमीन पर मेहनत करता है उसके अधिकार को पहले स्वीकार किया जाय। यह बहस हमारे यहां पर, पर्सनल कल्टीवेशन की व्याख्या के समय और एग्रिकल्चरिस्ट की व्याख्या के समय, काफी हुई। उस समय मैंने यह कहा था कि हम फार्म लेबर को डिसकरेज़ नहीं करते और न यह कल्पना करके चलते हैं कि फार्म लेबर की आगे आवश्यकता नहीं होगी और उनके अधिकार की बात तो नहीं कर सकते;लेकिन जहां तक एक सबटिनेन्ट या या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है, उसको अधिकार देने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन की यह राय है कि हमें सब टिनेन्ट्स को और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को राइट्स देने चाहिये। क्यों देना चाहिए? इसलिए कि वह जमीन पर मेहनत करता रहा और दूसरा पक्ष कौनसा है कि जिससे हम अधिकार ले रहें हैं तो, माननीय अध्यक्ष, यह स्पष्ट है कि आज दिन तक सब टिनेन्ट को वही रखता है, खातेदार या खुदकाश्त होल्डर कि जिसकी जीविका का जरिया उसके पास कुछ और है, और उसके आधार पर या उसके पास ज्यादा जमीन होने की वजह से दूसरे सब टिनेन्ट को अपनी जमीन काश्त के लिए दे देता है, या कोई न कोई बिजनेस उसके पास है या और कोई जीविका का साधन हो सकता है कि जिसके जरिये वह चलता है और स्वयं काश्त करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। दूसरी तरफ जिसको हम अधिकार नहीं दें, - मेरा मतलब सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को, तो परिणाम यह होगा कि इसके पास जीविका का साधन दूसरा नहीं था इसलिए उसके इस जरिये को काम में लेना पड़ा। यह निश्चित बात है कि दूसरों के जरिये खेती करवा कर अपनी आजीविका का निर्वाह करने में एक्सप्लॉयटेशन का सेन्स तो है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, जब एक आदमी एक्सप्लॉयटेशन के जरिये अपनी जीविका का निर्वाह करता था और दूसरा मेहनत करके अपनी जीविका का निर्वाह करता था तो हमें यह तय करना है कि मेहनत करके जो जीविका का निर्वाह करता था उसको जमीन से अलग कर दें और दूसरा जिसके पास दूसरी जीविका होते हुए भी उसके जरिये अपनी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

जीविका का निर्वाह करता था उनके अधिकारों में कमी न आ जाय। दूसरी बात यह है कि अगर सब टिनेन्ट को हम बेदखल कर देंगे तो उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलने वाला है। एक खुदकाश्त होल्डर को तो कम्पेन्सेशन का भी प्रोवीजन है। खातेदारों को भी कुछ कम्पेन्सेशन मिलेगा, उनको कुछ रिहेबिलिटेट करने में अपने आपको गुन्जाइश मिल सकती है। मान लीजिये कि जागीरदार भी हैं जिनको कि खुदकाश्त के ऊपर टिनेन्ट को अधिकार मिलता है तो उन्हें भी कम्पेन्सेशन मिलने वाला है, जिससे वह रिहेबिलिटेट हो सकते हैं और दूसरी तरफ टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या सब टिनेन्ट को बेदखल करते हैं तो हम उसको बेरोजगार कर देते हैं, दूसरा और कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है इस चीज का। इस परिणाम को देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोब्लम और देश के अन्य प्रोब्लम्स को सामने रखते हुए और इकोनोमिक असर को सामने रखते हुए इसमें कौनसा ठीक होगा, उस पर काफी विचार करने की जरूरत है, उसको बदलते हुए हालत की दृष्टि से विचार करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस राय से आप सहमत हैं कि पहला अधिकार उसको देना चाहिए कि जो जमीन पर स्वयं मेहनत करता रहा है और पहले पहल सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त में से किसको यह अधिकार देना है जो कि बीज, बैल, मेहनत सब कुछ करता था, अपनी जिन्दगी को होम करता था, उसी के ऊपर रहकर वह काम करता था किन्तु हम उसको अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन जो सिर्फ लगान लेकर उनको एक्सप्लायट करता था उसकी बात कर रहे हैं, जो एक आदमी अपने बैल, बीज लेकर और एक झोंपड़ी बनाकर बरसों से, सीमा कहीं निश्चित नहीं है, लेकिन सीमा निश्चित नहीं करने के कारणों पर बाद में आऊंगा; सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अपनी पूरी आजिविका के लिए उसी जमीन पर निर्भर था उसको उस पर से उखाड़ देना ठीक नहीं होगा इसलिये हमने सीमा लगाई और उस सीमा मात्रा की हमने यह रखी कि १२०० रू० की आमदनी जिसको है, वहां तक जमीन उसके पास रहे। इस बात का एमेंडमेंट है वह उसूलन ठीक है। वह हमें मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आज के दिन हम राजस्थान के अन्दर लाखों लोगों के बेदखल होने से, बेरोजगार होकर राजस्थान में घूमने के लिए मौका दें। वह परिस्थिति, मैं समझता हूँ, कभी भी उपयुक्त नहीं होगी।

हमने जो आर. पी. टी. ओ. लगाया उसका यह मकसद था। यह कहा जा सकता है कि आर. पी. टी. ओ. में अधिकार नहीं दिये, लेकिन अधिकार नहीं देने के साथ आर. पी. टी. ओ. का मकसद निश्चित तौर से यह था कि हम बेदखली को रोकें। आर. पी. टी. ओ. को चालू करने पर कई कठिनाइयें हमारे सामने आईं। खातेदार यह समझने लगे कि हम इतनें इन्ट्रेस्ट क्यों लें, क्योंकि रेन्ट फिक्सड कर दिया गया है और जब कि एक्सप्लॉइट करने की कोई पोसिबिलिटि नहीं रही तो उनका इन्ट्रेस्ट कम हो गया। खुदकाश्त टिनेन्ट यह समझकर चले कि मुझे भविष्य के लिये अधिकार नहीं हैं, इसलिये इंप्रूवमेन्ट क्यों करें? इन सारी बातों को देखते हुए और नेशनल इन्ट्रेस्ट को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि हम निश्चित करें कि हम क्या करना चाहते हैं। हमेशा के लिये

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

स्थायी तौर से क्या व्यवस्था करनी चाहिये। इस बात में सच्चाई है तो मैं समझता हूँ कि हमें इस निर्णय पर आना पड़ेगा कि कम से कम एक व्यक्ति के लिये कितनी आवश्यकता है, इस बात का निर्णय किया जाय। इस प्रश्न पर दलील यह दी गई कि जहां सब टिनेन्ट्स के लिये कम से कम आजीविका के लिये निश्चित करें वहां खातेदारी टिनेन्ट्स के लिये भी क्यों न करें ? इसका उत्तर यह हो सकता है कि जो व्यक्ति आज इस जमीन से पार्टली अपनी जीविकोपार्जन करता है उसके मुकाबले में जो व्यक्ति पूरी तौर से उसी जमीन पर निर्भर करता है उसका अधिकार पहले होना चाहिये। उसके पास यदि ज्यादा जमीन है तो निश्चित तौर से उसमें से जमीन दूसरों को दी जा सकती है लेकिन पहले ही उसमें से जमीन दी जाना, सिलेक्ट कमेटी ने जो तय किया उससे विपरीत बात होगी।

"नोट" शब्द को हटाने की बात कही गई, इससे सेन्स बदल जाता है लेकिन मैं समझता हूँ कि यह महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण से मैं इसे....

श्री **जवानसिंह**—"नोट" शब्द तो हटाना नहीं है, यह तो पहले से ही है।

श्री **मोहन लाल सुखाड़िया**—अमेन्डमेन्ट में इस शब्द को हटाने की बात कही गई है। इस शब्द को हटाने से भी मतलब दूसरा हो जाता है इसलिये मैं समझता हूँ कि इसे अपने को रखना होगा।

जहां तक पंत रिपोर्ट का रेफरेन्स दिया गया मैं समझता हूँ कि उसमें एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई है, जिसे हमें समझना चाहिये। हम इस वक्त अधिकार देने जा रहे हैं उन व्यक्तियों को जो जमीन पर काबिज़ हैं। इजेक्टमेंट ऑफ टिनेन्ट्स को प्रोटेक्ट किये बिना हम आगे नहीं जा सकते। जागीर रिजम्पशन और लैंड रिफॉर्म्स के साथ यह बात कही गई थी कि सोशियल जस्टिस और इक्विटी की बात नहीं होगी, यदि इजेक्टमेंट से हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यह जरूरी है कि जो जमीन पर काबिज़ हैं, उनको रहने देना चाहिये। यू० पी० में जमींदारी एबोलिशन हुआ उसमें यह रखा गया है कि सब-टिनेन्ट्स को बेदखल नहीं किया जाय। उनका वहां पर कब्जा रखा गया है। ए. आइ. सी. सी. के रिज़ोल्युशन की तरफ, जो अभी अजमेर में पास किया गया, अध्यक्ष महोदय, ध्यान दिलाना गैर वाजिब नहीं होगा, जिसमें कहा गया था कि हम पट्टेदार टिनेन्ट्स की सीक्योरिटी रखें। पट्टेदार टिनेन्ट्स की सीक्योरिटी इस बिल में भी फंडामेंटल बात है। जो सीमा दी गई है वह उपयुक्त है। हम यह भी नहीं चाहते कि सब-टिनेन्ट्स चाहे जितनी जमीन रखें और खातेदार को कुछ नहीं दे। यदि एक सब टिनेन्ट के पास लिमिट से ज्यादा जमीन है तो उसको लिमिट से अधिक हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहला अधिकार सब टिनेन्ट को है। इस उसूल को इन्कार करना उपयुक्त नहीं होगा। इसी के ऊपर यह अमेंडमेंट आश्रित है। मैं इसको स्वीकार करने के पक्ष में हूँ।

यह बात भी कही गई कि पन्त रिपोर्ट के अनुसार खुदकाश्त का कंपेन्सेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न डाइरेक्टली इससे सम्बन्धित नहीं है। सीलिंग

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कमेटी के बारे में कहा गया कि जब सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाय उसके बाद हम सारी बातें तय करें। सीलिंग कमेटी जो निर्णय करेगी उसका दायरा दूसरा है और हम यहां पर जो फैसला कर रहे हैं वह दूसरा है, सीलिंग कमेटी तो, मौजूदा होल्डिंग जागीरदारों या खुदकाश्त होल्डर्स के पास है उसकी सीमा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा उनके पास कितनी जमीन रहने दी जाय, इस बात का निर्णय करेगी। सब-टिनेन्ट्स के पास कितनी जमीन छोड़ी जाय, इसका निर्णय वह कमेटी नहीं करेगी। यह प्रश्न इतना सीलिंग कमेटी के निर्णय से सम्बन्धित नहीं है लेकिन सीलिंग कमेटी के निर्णय से ज्यादा तो उनके पास नहीं छोड़ रहे हैं इतना तो मैं समझता हूं। सभी सदस्य मानेंगे कि एक आदमी के पास जितना होल्डिंग उससे तजुर्बा करके सोच सकते हैं कि इससे बेदखल नहीं किया जाता और रोजी नहीं जाती, बमुकाबले उसके कि दूसरों की रिज्यूम करके होल्डिंग को बड़ा करना चाहते हों। इन दोनों के बीच में भेद है। अलोटमेंट करके बड़ा बनावें वह अलग चीज होती है इसलिये सीलिंग कमेटी से डाइरेक्टली सम्बन्ध हो, यह बात नहीं है। एक बात यह है कि १२०० रुपयों की इन्कम हो जिसमें से पर्सनल लेबर केल्कुलेट नहीं किया गया है, दूसरे खर्चे काटे गये हैं, उसके मुताबिक होल्डिंग होना चाहिये।

क्लॉज़ १३१ का जिक्र कई बार आया। इसमें भी विरोधाभास नजर आता है। इसका कारण यह है कि दरअसल में सिलेक्ट कमेटी ने जब तय किया तब पहले रिज्युमेबल लिमिट पर सोच-विचार किया। खातेदारी टिनेन्ट को पहले अधिकार दें कि वह पहले रिज्यूम कर सके और उसके बाद जमीन बची है तो सब-टिनेन्ट के पास रहने दें। इस बात को पंजाब में काम में लिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों की तादाद में बेदखलियां करने का प्रश्न खड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप पंजाब में इजेक्टमेंट के खिलाफ कानून पास करना पड़ा और उसके जरिये इजेक्टमेंट रोक दिया गया। इससे जो कॉम्प्लीकेशन्स हो जाते हैं वे सोचे गये और सारी परिस्थिति को देखकर प्लानिंग कमीशन को रेफर करने के बाद जब उन्होंने इस बात को माना कि यह उसूलन ठीक नहीं है कि जो जमीन पर काबिज़ हो उसको बेदखल करें और फिर बाद में उसके लिये दूसरी जमीन ढूंढें। सारी परिस्थितियों को लक्ष्य में रखने के बाद जो अमेंडमेंट आया है वह ठीक है। कपिलदेवजी ने इसमें यह चेन्ज किया है कि "On payment of compensation" के बजाय "If he is prepared to pay" ठीक है। पहले कम्पेनसेशन दें और फिर पूरे अधिकार मिलें यह ठीक नहीं है। सिमिलरली टाइम लिमिट ६ महीने का हो इसको एक्सटेन्ड कर दिया जाय ताकि निश्चित समय में लोग दर्ख्वास्तें दे सकें। यदि सदन पसन्द करे तो हम १ साल का समय दे सकते हैं।

बहस के दौरान में यह कहा गया कि कंपेनसेशन क्यों दिया जाय? नालबंट कंपेन्सेशन क्यों हो? मैं समझता हूं कि कंपेन्सेशन तय करने के लिये इसी क्लॉज़ का सब क्लॉज़ (सी) जब आयेगा और यह चीज हमारे समक्ष होगी तब विचार कर सकेंगे। इस समय यह कल्पना करके नहीं चल सकते कि कंपेन्सेशन न हो। कंपेन्सेशन कॉस्टीट्युशनली देना होगा। लेकिन कंपेन्सेशन क्या हो, इसका हम आगे की क्लॉज़ में निर्णय करेंगे। इस समय तो सवाल यह है कि पहला अधिकार सब टिनेन्ट को और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को इस बात का देते हैं कि उनके पास मिनिमम हमको कितनी जमीन छोड़नी चाहिये, इसके बारे में हमें आधार तय करना है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और इस आधार को स्वीकार करना मैं समझता हूं न पंत रिपोर्ट के खिलाफ जाना है और न किसी और चीज के खिलाफ जाना है, बल्कि उस चीज का प्रतिपालन करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर जो अमेंडमेंट मूव किया है कि 'on payment of compensation' के स्थान पर "If he is prepared to pay" कर लिया जाय।

मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने कहा कि इसका परिणाम यह होगा कि कुछ आदमियों को, जिन्हें कि आप कम्पेन्सेशन देकर डिफेन्ड करना चाहते हैं वे डिफेन्ड नहीं होंगे लेकिन हजारों लाखों आदमी बर्बाद हो जायेंगे, बेकार हो जायेंगे।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने काफी लिबरल तरीकों से इसे रखा है। हमने "पर्सनल्ली कल्टीवेटेड" को मान लिया है, रेकेर्डेड को मान लिया है। अब बहुत कम परसेंटेज़ हो सकता है कि खुदकाश्त के लिए राजस्थान में जमीन नहीं हो। मैं स्पष्ट तौर से इस बात को स्लोगन मानता हूं जो लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में खुदकाश्त के लिए लोगों के पास जमीन नहीं है। यदि हम साधारण तौर से देखते हैं तो व्यक्ति विशेष के पास भले ही जमीन नहीं मिले, खुदकाश्त के लिए पर आम तौर से परिवारों के पास में खुदकाश्त की जमीन मिलेगी। हम इसकी माइन्यूटली जांच करेंगे तो पूरा पता चलेगा।

उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदयपुर डिवीजन की बात कहूं। मैं उधर गया हुआ था; दो व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदकाश्त की जमीन के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं। मैंने पूछा खुदकाश्त की जमीन नहीं है क्या? तो कहा कि लड़के रिश्तेदारों के पास दे दी है।

यही अगर खुदकाश्त की प्रोब्लेम है तो यह प्रोब्लेम एग्ज़िस्ट करती है। वैसे जीविका के लिए देखा जाय तो ९५ प्रतिशत खुदकाश्त की समस्या सोल्व्ड है। वे दरख्वास्तें हमारे सामने आ रही हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा, जबकि वास्तविकता हमारे सामने होगी तो हम उस वास्तविकता को सोचें और कोई ऐसी चीज नहीं कर बैठें कि राजस्थान में उथल-पुथल हो और लोगों के पास जीविका तक के उपार्जन का साधन नहीं रहे।

एक यह बात कही कि जो आज तक खातेदार टिनेन्ट रहे उनके अधिकारों के बजाय सब टिनेन्ट के अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया है, ऐसा इस बिल से प्रतीत होता है। जहां तक खातेदार हैं उनके तो हक निश्चित हैं पर वे रेस्ट्रिक्टेड हो गये हैं जहां वे खुद खेती नहीं करते हैं। अपनी जमीन सब टिनेन्ट्स को खेती करने के लिए दे रखी है वहां उनके अधिकारों पर फर्क पड़ता है, वह घाटा प्रतीत होता है। कौन कितने साल से काश्त कर रहा है इसमें जायं तो इससे बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। यही तो कारण है जो सब टिनेन्ट को अधिकार दे देना चाहते हैं चाहे वह साल भर का हो या दो साल का सब टिनेन्ट हो।

Page No.24

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं इसका फैसला करते कि समय की सीमा रखते, पर राजस्थान की वास्तविकता से हम आंखें बन्द नहीं कर सकते। राजस्थान में पिछले सालों में यह हुआ है कि सबलेटिंग की प्रथा आम तौर से शुरू कर दी है। हम यह मालूम करना चाहें कि किसने कब कहां काश्त की, तो यह मालूम करना बहुत मुश्किल है। बारीकी में गये तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि जो अधिकार देना चाहते हैं वे न दे पावें।

फिर दूसरी और बात श्री गोपीलालजी ने सुझाई कि यदि किसी सब टिनेन्ट का १२ सालका कब्जा हो तो उसे बिना किसी कम्पेन्सेशन के खातेदारी का अधिकार दे देना चाहिये। इस दलील में तथ्य है और यह विचार करने योग्य है, पर यह यहा नहीं। जब इस सम्बन्ध की धारायें आयेंगी उस समय इस पर विचार किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन से यह अर्ज करना चाहूंगा कि कोई यह समझ कर नहीं चले कि यह क्लॉज़ जागीरदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई है, या हमारे दिमाग पर जागीरदारी प्रथा का असर काम करता है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। हम जागीरी प्रथा को खत्म करने के काम में काफी आगे बढ़ चुके हैं और जब तक यह बिल पास होगा तब तक तो और भी कम मौका हमें जागीरी प्रथा के बारे में सोचने को मिलेगा। पर ऐसी बार बार चीजें पेश करते नहीं चले जायें जो कि उसूलन गलत हैं। जो आज तक जमीन पर काश्त करते रहे उसमें यह भी सम्भावना है कि पहले काश्त करते रहे हों, रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण, जो पहले खातेदार बन सकता था वह रेकर्ड की वजह से सब टिनेन्ट हो गया हो, तो कम से कम वैसी तो बेदखली नहीं होने दे। इसके लिए तो अमेंडमेंट रखा है, अमेंडमेंट रखने वाले भी इससे सहमत होंगे, तो मुझे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बड़े उसूल का क्लॉज़ है जो हमारी अब तक की नीति, जो भूमि-सुधार के नियमों के सम्बन्ध में रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस अमेंडमेंट सहित यह क्लॉज़ इसी रूप में आवश्यक है, इसको स्वीकार करें।

श्री जवान सिंह—माननीय अध्यक्ष, सब टिनेन्ट को कितने अर्से तक सब टिनेन्ट की हैसियत से काश्त करते रहने पर खातेदारी के राइट्स देने चाहिये, इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि बाद में जिक्र करेंगे, पर इसका खुलासा नहीं किया; क्या खुलासा करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिक्र किया था कि अगर हम राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस सम्बन्ध में बारीकी में जायें तो निश्चित तौर से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसमें समय की कोई सीमा नहीं रखी है।

Page No.25

श्री भवानी सहाय—क्लॉज़ १३१ के अनुसार सब टिनेन्ट को इस क्लॉज़ के तहत इधर खातेदारी के राइट्स दे दिये जाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, तो इसमें यहां एक और प्रोविज़ो होना चाहिये :

"Any land of the category mentioned in clause (b) of section 131."

इसके प्रोविज़ो (b) के बाद ...

श्री अध्यक्ष—कोई नये पाइन्ट पर बोलना चाहते हैं, या कोई नया अमेंडमेंट है ?

श्री भवानी सहाय—नया अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—You better confer with the Minister-in charge.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मेरा खयाल है कि इस पर डिसीजन तो बाकी रहेगा ही ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—No, no; not necessary. It is all right, the amendment is all right. It reads as :

"Any land of the category mentioned in clause (b) of Section 131." This will be (c).

श्री अध्यक्ष—I can take it only on bahalf of the Treasury Benches, because you are......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I agree to that.

श्री हिम्मतसिंह—It is not a question of agreeing. Has it been moved by the Treasury Benches ?

श्री अध्यक्ष—Yes, because when a reply is made by the Treasury Benches the debate closes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Now I read that. Now the whole clause will read like this :

श्री अध्यक्ष—(c) ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—I will read the whole thing :

"A tenant of khudkasht or a sub-tenant of land, other than a grove-land, who, at the commencement, of this Act, was in possession of land which hab

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

been let or sub-let to him shall, if he is prepared to pay compensation under this Act, have the right to apply to the Sub Divisional Officer in the prescribed form for the acquisition of khatedari rights and the right in improvements in that part of the land which is not in excess of the minimum area prescribed by the State Government for the purposes of clause (a) of section 131 :

Provided that the provisions of this section shall not apply to :

(a) any land where the land-holder provides bullocks, seed, manure and other means of agriculture and bears all costs of cultivation, and

(b) any land held by a tenant of khudkasht or sub-tenant from any person mentioned in section 37,

(c) any land of the category mentioned in clause (a) of section 131........."

श्री अध्यक्ष—That is newly added ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes. "Provided further that all application under this section shall be made within six months......" के बजाय "one year from the date of the commencement of this Act :"

Provided also that the Sub-Divisional Officer may entertain any application made under this section after the period specified in the second proviso if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application within the specified period."

श्री अध्यक्ष—I will put it to vote then.

(विराम)

Shri Chandmal Mehta, Shri Kishanlal Shah & Shri Shyamlal Goyal : they have not moved their amendments.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे। इसमें मैं यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि जो अभी रेवेन्यु मिनिस्टर ने जिस तरह से अमेन्डमेंट मंजूर किया है, वह भी उसके साथ है।

(स्वीकृत)

श्री राजस्व मन्त्री द्वारा संशोधित श्री मिर्धा का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १६ (ए), जैसा कि श्री मिर्धाजी ने प्रस्तुत कर मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया और सदन ने भी जिसकी स्वीकृति दे दी है, वह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

श्री मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत श्री मिर्धा का क्लॉज़ १६ (ए) पर संशोधन विधेयक में। अंग रूप मे जोड़ा गया।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ (४३)

अब हम खण्ड ४ के उपखण्ड (४३) पर आते हैं। एग्रीड हैं या इस पर बहस होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, यह 'ट्रेस्पासर' के विषय में है और इस पर बहस बहुत हो चुकी है। मैं ज्यादा बहस में न पड़ कर सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि "'Trespasser' shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him". सिर्फ इतना ही रखा जावे बाकी को डिलीट कर दिया जावे। मैं समझता हूं कि इससे उनका आशय पूरा हो जावेगा।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी यह संशोधित रूप से क्लॉज़ ४ का उपखण्ड (४३) जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर मुझे दो शब्द निवेदन करने हैं। इससे पूर्व क्लॉज़ १६ (ए) पर काफी वाद-विवाद हुआ। उसमें भी सरकार ने अपना एक सिद्धान्त माना कि

Page No.28

[श्री जवानसिंह]

सब टीनेन्ट और टीनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को खुदकाश्त देने का जो प्रश्न था उसको सदन के सामने रखा। हम इस बात को थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि जहां तक खातेदारी हकूक देने का प्रश्न है टीनेन्ट के, जो काश्त करते हैं, कुछ हद तक मंजूर कर सकते हैं। इसके आगे अभी हमने १६ (ए) को पास किया है और इसे मंजूर किया है। सब टीनेन्ट और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स दिये जावें, यह हमने मंजूर किया लेकिन अब ट्रेस्पासर को भी उसी डेफिनिशन में परिणत करना चाहते हैं। आखिर में सामान्यता से और न्याय की दृष्टि से और रीज़निंग के सहारे उसको इस डेफिनिशन से निकाल कर उनको खातेदारी के हकूक देना चाहिये या नहीं, इस चीज को हमें सोचना चाहिये। क्योंकि ट्रेस्पासर आगे जाकर, अगर आपने इसमें से दो लाइन्स निकाल दीं तो यह निश्चित है कि जिस प्रकार सब टीनेन्ट आदि के हक रहेंगे, ट्रेस्पासर का भी हक रहेगा "or does not deliver possession of any land to another person who, according to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession." ये सारे के सारे अल्फाज़ मेरे ख्याल से ट्रेस्पासर के फेवर में हैं और बाद में चल कर वह खातेदारी हकूक प्राप्त करेगा। वैसे तो किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त करने के लिए हक दिये जा सकते हैं लेकिन एक ट्रेस्पासर को जिसे सी० आर० पी० सी० में भी ट्रेस्पासर करना जुर्म है सजा दी जा सकती है, इसलिए हम दूसरी परिभाषा जो साधारण मतलब से विपरीत है; ऐसे जुर्म करने वाले आदमी को यह कहें कि तुमको कानून की तहत में अधिकार देंगे, मेरा ख्याल है यह कोई न्यायोचित बात नहीं होगी और यहां पर उन आदमियों को निकालें जो आदमी कानून की तहत में अपनी जमीन पर काबिज रहना चाहते हैं और अपना कब्जा असल मालिक के लिए नहीं छोड़ना चाहता। उस ट्रेस्पासर को उसमें से निकालने की बात कही जा सकती है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें यह कहा जाता है कि इस कानून के लागू होने से पहले कुछ आदमियों ने कुछ एरिया पर अपना कब्जा कर लिया हो, यह हो सकता है कि वे टीनेन्ट की हैसियत में रहे हों और खातेदारी के हकूक लिये हों और उसके अनुसार उनको खातेदारी के हकूक मिल सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह हो सकता है, दूसरी दलील यह बतलाई जा सकती है कि जो साल दर-साल काश्तकार हैं उन आदमियों को यदि हम इस परिभाषा में रखते हैं, जैसा कि संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो साल दर-साल किसान जिनको निश्चित फायदा नहीं हुआ है, उनको इस कानून की तहत अधिकार दे सकेंगे, चाहे वह खातेदार हों या दूसरे। हम उनको अधिकार दे सकेंगे, लेकिन जो क्लॉज़ इस वक्त मौजूद है, क्लॉज़ ४२ जैसा कि इस वक्त है, अगर हम उसको वैसा ही ही रखते हैं तो उन आदमियों को अधिकार नहीं दे सकेंगे इस क्लॉज़ में; बल्कि वे ट्रेसपासी कहे जावेंगे और जो जमीन पर कब्जा है उनका, वह हटा दिया जावेगा।

तो मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि इस प्रकार के जो क्लॉजेज़ हैं कि ट्रेसपासर्स कौन व्यक्ति होंगे, इस बात के लिए हमारे इस टिनेन्सी बिल में ही प्रोविजन नहीं है बल्कि यू.पी. टिनेन्सी एक्ट में भी मैंने देखा है कि इस प्रकार की धारायें हैं और उनसे साफ प्रतीप्र हो जाता है कि कौन से व्यक्तियों को ट्रेसपासर्स कहेंगे और कौनसों को नहीं? मैं आपका ध्यान धारा १८० यू.पी. टिनेन्सी एक्ट की ओर लेजाना चाहता हूँ जिसमें इस प्रकार के आदमी को दंड ट्रेसोपासर्स होने के नाते दिया जा सकता

[श्री जवानसिंह]

है । इसी प्रकार मैं जोधपुर टिनेन्सी एक्ट की धारा ६४ की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जहां पर कौनसे व्यक्तियों को ट्रेसपासर्स माना है और किनको मानना चाहिए ? इसके अलावा जहां तक कोर्ट फीस एक्ट का सवाल है उसमें भी कई व्यक्तियों के लिए प्रोविज़न्स हैं। किसी व्यक्ति का एक जमीन पर कब्जा है कुछ अर्से के लिए या जितने समय के लिए करार किया गया है उस समय तक वह उस पर काबिज रहेगा और उसके बाद में उस व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा नहीं रहता जिनका असलियत में हक है कब्जा लेने का उस सीमित मयाद में । इस तरह के प्रोविजन्स मिलेंगे आपको किन्तु यहां पर हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ विशेष व्यक्तियों को खास फायदा देने के लिए ऐसा प्रोविजन रखा जाय, तो मेरा ख्याल है कि यह मामूली न्याय की की दृष्टि में भी उचित नहीं गिना जायगा । यह बात ठीक है कि हम बहुत आगे का विचार करके या पीछे का विचार करके किन परिस्थितियों में लोगों को फायदा पहुंचाने का मुहायदा करके आये हैं इसलिए उनको अधिकार दे दें कि केवल ट्रेसपासर्स मानना चाहिए और मानकर अधिकार देते हैं, और उनको बचाकर इस कानून के तहत में अधिकार देना चाहते हैं जिनको कि असलियत में अधिकार नहीं मिलने चाहिए । चूंकि हमने पहले उनसे मुहायदे किये हैं और आगे उन मुहायदों को पूरा करना है और आगे के लिए भी हम अपना इस प्रकार से मैदान साफ करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमको फायदा मिले । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर जो सामान्य मुश्किलातें आती हैं उनकी तरफ आज मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन शब्दों को जो हम डिलीट करने जा रहे हैं उनका अर्थ क्या है और क्या अनर्थ होने वाला है ? वे शब्द हैं...

"Or does not deliver possession of any land to another person, who, according to the provisions of this Act, is entitled for the time being to such possession."

हम ऐसे आदमियों को ट्रेसपासर्स नहीं कहेंगे कि जो कुछ अर्से के लिए किसी कारण की वजह से आपकी जमीन पर काश्त करने के लिए काबिज रहा है । मैं एक साधारण सा दृष्टान्त पेश करूंगा । एक काश्तकार ने किसी टिनेन्ट को, किसी आदमी को अपनी जमीन को दो साल के लिए काश्त करने के लिए दी । वह दो साल का समय खत्म हो जाता है और उसके बाद में उसने यदि कन्टीन्यू किया और उसके बाद कोई मुहायदा नहीं हुआ है उसके साथ तो वहां यह कानून फोर्स में आयगा, उसको खातेदारी हकूक मिलेंगे, ऐसी हमारी आगे की धारा है । हम यह चाहते हैं कि उस आदमी को बराबर का हक मिलना चाहिए, जो जमीन उसको निश्चित समय के लिए काश्त के लिए दी गई थी; लेकिन लीज़ के खत्म होने पर भी यदि उस जमीन पर उसका कब्जा है और वह सतत तक उस पर काबिज रहेगा जब तक कि कानून फोर्स में नहीं आयगा । उन आदमियों के सेफगार्ड के लिए इस परिभाषा को हम संकुचित बनाना चाहते हैं। अगर उन आदमियों को इस परिभाषा को सीमित करके इस प्रकार फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों से कोई हानि होने वाली नहीं है, उन आदमियों ने कुछ अर्से के लिए करार कर जमीन को बोने के लिए पाया । यह कानून फोर्स में नहीं आयगा तब तक चूंकि आर. पी. टी. ओ. लागू रहेगा,

Page No.30

[श्री जवानसिंह]

उस जमीन पर उनका कब्जा रहेगा और वे टिनेन्ट की हैसियत से काश्त करेंगे। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने के बाद मौजूदा जो १३५ क्लॉज है, आर. पी. टी. ओ. जो कि वैसा का वैसा इस कानून में समाविष्ट होता है, उसके बाद में भी टिनेन्ट्स को, जिनको कुछ समय के लिए जमीन काश्त के लिए दी है, आगे भी कायम रहेंगे। इस समय किसी आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई काश्तकार जमीन से बेदखल हो जायगा। अगर वह टिनेन्ट जिसको दो वर्ष के लिए जमीन काश्त के लिए दी गई है, उस बीच के पीरियड में आर. पी. टी. ओ. के रहते हुए निश्चित रूप से बेदखल नहीं होगा तो आप संकुचित परिभाषा को यहां क्यों अपनाना चाहते हैं? जैसी परिभाषा यहां मौजूद है उसके होते हुए कोई टिनेन्ट बेदखल नहीं हो सकेगा। वह टिनेन्ट के तौर पर काश्त कर सकेगा और फिर यदि यह कानून फोर्स में आयगा तो इज्क्ट होने का सवाल ही नहीं आयगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून के फोर्स में आने पर भी कोई काश्तकार लीज़ पर कायम रहता है, चाहे कानून से या बिना करारनामे से और केवल आर. पी. टी. ओ. की हैसियत से ही काबिज रहता है तो यह कानून कोई असर नहीं डालेगा। इसको ट्रेसपासर्स की परिभाषा आप बना रहे हैं, संशोधित रूप में या जो मौजूदा उसका अर्थ लगाया जायगा, जैसा कि आप लगाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविजन रखेंगे जो इस कानून के बाद में दो साल के लिए आर. पी. टी. ओ. को दृष्टि में रखकर दो साल के लिए लीज पर दे देते हैं, या तीन साल या पांच साल के लिए लीज़ दे दी जाती है, तो पांच साल का पीरियड खत्म होने के बाद आप उन लोगों को ट्रेसपासर्स क्यों नहीं मानना चाहते, क्यों नहीं वे जमीनें असली मालिक को लौटा दें? क्यों प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि उसको ट्रेसपासर्स नहीं कहें? क्यों आप उस आदमी को ढक देना चाहते हैं? यह तो एक गैरजिम्मेदाराना तरीका है जिसकी वजह से उन लोगों की जमीनों पर उनका हक नहीं रह जाता है, जो निश्चित अवधि के बाद हक लेने की कोशिश करें? क्यों हिमायत करें हम उनको जिनको कि ट्रेसपासर्स कहते हैं और जिनको ट्रेसपासर्स समझना चाहते हैं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ट्रेसपासर्स की अब हिमायत करने लग गये हैं और जो बातें कही गई थीं कि हम सब टिनेन्ट को फायदा करना चाहते हैं, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को फायदा देना चाहते हैं किन्तु ट्रेसपासर्स की परिभाषा को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि आप ट्रेसपासर्स की हिमायत करना चाहते हैं और वह इस संशोधन की परिभाषा को देखते हुए साफ जाहिर हो जायगा, अन्यथा जबकि लीज़ निश्चित पीरियड के लिए दी हुई है, उसको प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं, जब तक कि उसको कन्टीन्यु नहीं किया जाय, एक्सटेन्ड नहीं किया जाय, उसका उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं मानना चाहिए और उस जमीन को उसके मालिक के पास, जिसके पास जमीन रहती है रिवर्ट करना चाहिए।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हिमायत की जो नीति अपनाई जा रही है वह ट्रेसपासर्स के सिद्धान्तों के बिल्कुल खिलाफ है और सामान्य रूप से भी बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए किसी तरह से यह संशोधन मंजूर नहीं होना चाहिए और जो ओरिजिनल क्लॉज है उसको उसी तरह से मंजूर करना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— I think I have got the opportunity to reply.

श्री अध्यक्ष— Yes.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्षजी, मैं तो यही सोच रहा था कि इस धारा पर बहस नहीं होगी क्योंकि इस पर कल आपस में मिलकर काफी चर्चा कर ली गई थी, लेकिन फिर भी ··

श्री जवानसिंह—मैंने वहां भी कहा था, यह असामाजिक है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं स्पष्ट कर दूं। इस लाइन को डिलीट करने का कारण है। मुझे अब समझाने में कुछ दिक्कत नहीं आयगी क्योंकि आपने अपना दृष्टिकोण साफ तौर से बतला दिया है। इन धाराओं में इन शब्दों की आवश्यकता इसलिये प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इसका परिणाम यह निकल सकता है कि कोई जागीरी क्षेत्र की जमीन है और वह आमतौर पर किसी को अमुक टाइम के लिये जमीन दी गई हो और वह दो तीन-साल के लिये काश्त के लिये दी गई हो और उसके बाद रिवर्ट नहीं हुई हो, जमीन पर उसका कब्जा हो तो क्या उसको भी ट्रेसपासर समझ लिया जाय? उसका पीरियड पूरा नहीं हुआ तो भी उसके लिये कॉम्पलीकेशन्स खड़े होंगे आगे, जिनको हम खातेदारी के राइट्स दे रहे हैं। उन खातेदारी राइट्स के लिये, जिनको लीज़ पर जमीन दी हुई है उसके पास रहने की वजह से खातेदारी राइट्स से वह महरूम रह जाता है, जिनको काश्त के लिये जमीन दी हुई है उसने वापिस लेन्ड होल्डर को रिवर्ट न किया हो। जहां हम काश्तकार खुदकाश्त होल्डर की जमीन पर खातेदारी राइट्स देने की बात करते हैं वहां पर हम एक आदमी को काश्त के लिये जमीन दें, उस पर खातेदारी के राइट्स नहीं हों, जमीन रिवर्ट न हो, यह कल्पना आया किसी भी समय उपयुक्त नहीं समझी जा सकती। चाहे जमीन लीज़ पर दी गई हो, उसमें कोई दूसरा काश्त करता हो, और उस पर किसी का काश्त का अधिकार नहीं, उनको खातेदारी राइट्स के प्राप्त होने के लिये कोई बाधा नहीं आनी चाहिये। इन शब्दों की वजह से बाधा उपस्थित थी इसलिये इन शब्दों को डिलीट करना जरूरी समझा गया है।

श्री जवानसिंह—इसका असर प्रोस्पेक्टिव होगा या रिट्रोस्पेक्टिव होगा?

श्री अध्यक्ष—This is to be determined by the General Clauses Act. Legal interpretation will take place.

(विराम)

(श्री सुखाड़ियाजी से) आप अपनी संशोधित धारा पढ़ दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस क्लॉज़ में "let out to him" बाद के शब्द डिलीट कर दिये जांय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से ट्रेज़री बेन्चेज की ओर से संशोधन आ रहे हैं मैं उनको फिर से पढ़ देता हूँ। क्लॉज ४, सब क्लॉज़ (४३):
"'Trespasser' shall mean a person who takes or retains possession of unoccupied land without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him."

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड (४३) को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(विराम)

Sorry.

पहले इस क्लॉज़ में आये हुए संशोधन लिए जायेंगे।

प्रश्न यह है कि श्री बृजसुन्दर शर्मा का संशोधन जो खण्ड ४ के उपखण्ड (४३) में है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड (४३) में श्री श्रीदास गोयल का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्व मंत्री ने जो संशोधन "Or does not" से "possession" तक के शब्दों को डिलीट करने का प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री राजस्व मंत्री का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड ४ का उपखण्ड (४३), संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

खण्ड ४ का उपखण्ड (४३), संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now second explanation to clause 4

श्री जवानसिंह—चूंकि अब इस एक्स्प्लेनेशन की जरूरत नहीं इसलिये मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन कि यह अनुमति है की श्री जवानसिंह को अपना एक्स्प्लेनेशन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना एक्स्प्लेनेशन वाला संशोधन वापिस लेता हूं।

खण्ड ११ (ए)

श्री अध्यक्ष—खण्ड ११ (ए)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, ११ (ए) के संबन्ध में जिन माननीय सदस्य ने संशोधन उपस्थित किया था वे उपस्थित नहीं हैं। यदि वे होते तो अपने संशोधन को वापिस ले लेते। इस संबन्ध में आपस में काफी चर्चा हो चुकी थी। इस क्लॉज़ की आवश्यकता प्रतीत नही होती। इसलिये इसको रखने का जो सुझाव है उसको अस्वीकृत करना ही उपयुक्त होगा।

इस क्लॉज़ को डिलीट करने का जो सुझाव है उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ और जो श्री हरिकृष्ण व्यास का अमेन्डमेन्ट है उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खण्ड ११ (ए) में श्री हरिकृष्ण व्यास का जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No.34

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ (ए) में श्री नाथूराम मिर्धा का जो संशोधन है यह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ (ए) में श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

इस तरह इस संशोधन से डिलीशन ऑफ दी होल क्लॉज़ है। इसलिये खण्ड ११ (ए) का संशोधित स्वरूप रहता ही नहीं।

खण्ड १४

अब हम खण्ड १४ पर आते हैं।

खण्ड १४ के लिये अमेन्डमेन्ट्स हैं श्री भैरोंसिंह, श्री एच. के. व्यास, श्री श्यामलाल गोयल और श्री नाथूराम मिर्धा के।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष जी, इस खण्ड के सम्बन्ध में ज्यादातर चर्चा इस बात पर हुई थी कि जो पट्टेदार टीनेन्ट्स हैं उनके सम्बन्ध में आगे क्या स्थिति रहेगी? मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार खड़मदार और बापीदार के सम्बन्ध में भी अलग अलग जगह अलग अलग कानून के अन्दर व्यवस्था रही है लेकिन अभी हम खातेदार को राजी करने जा रहे हैं। इसमें सिवाय इसके कि कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हैं और कोई अन्तर उसमें नहीं पड़ता है। रेस्ट्रिक्शन्स चाहे बापीदार हो, चाहे पट्टेदार हो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन्स रखी गई हैं यह उनके लिये भी आवश्यक होंगी। ऐसी हालत में, मैं समझता हूं कि व्याख्या में कोई शब्द जोड़ने या अमेन्डमेंट करने की बात नहीं है, यह तो जिनको पहले राइट्स दिये गये उनको कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये या जो अमाउन्ट पट्टेदारी राइट्स देने के लिये लिया गया वह वापिस लौटाना चाहिये। ये सब प्रश्न खड़े नहीं होते क्योंकि हम किसी के प्रोप्राइटरी राइट्स लेते नहीं, पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाते हैं जो किसी प्रकार इल्लीगल नहीं हैं। इन सब चीजों को एग्ज़ामिन करने के बाद मैं समझता कि यह जो क्लॉज १४ है, उसमें नाथूराम जी ने जो अमेन्डमेंट मूव किया है उसको स्वीकार करते हुए और उसमें भी बाद में यह जो लिखा है कि :

"Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant to whom land is let out temporarily in Gang Canal, Chambal, Jawai or any other area notified in this behalf by the State Government"

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

होना चाहिये बजाय इसके कि "is let out in Gang Canal..."

इसमें "Temporarily" और जोड़ दिया जावे। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या, कैसे होता है ?

(विराम)

"is let out temporarily in Gang Canal..." is it ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Yes, sir.

श्री भैंरूसिंह(वि० सं० १६)—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की इसके लिये अनुमति है ?

(अनुमति दी गई)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री श्यामलाल गोयल ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—With holf hearted, it seems. The voice is not coming.

(हंसी)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

श्री हिम्मतसिंह—दुख होता है उनको।

श्री अध्यक्ष—आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—बड़े दुख के साथ।

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Just one word I would like to add more : "Is or has been let out temporarily".......

श्री अध्यक्ष—Then it would be :

"Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant to whom land is or..."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"Is or has been let out".

श्री अध्यक्ष—खण्ड १४ के प्रोविज़ो पर जो संशोधन है वह (प्रोविज़ो) संशोधित रूप से मैं पढ़े देता हूं :

"Provided that no Khatedari right shall accrue under this section to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal, Jawai Project or any other area notified in this behalf by the State Government"

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड १४ में श्री नाथूराम मिर्धा ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १५, उपखण्ड (१६) Sorry (14) and (15)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी हां।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में सदन में वैसे काफी चर्चा हुई, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि (१४) व (१५) सब क्लॉज़ेज़ डिलीट कर दिये जाने चाहियें। इसका कारण यह है कि जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट का अमेन्डमेंट हमने पिछले सदन में पास किया उससे यह जो पहला मूल एक्ट था इसी वजह से रक्खा हुआ था यह (१४वां) सब क्लॉज़। अब उसे जागीरी रिजम्प्शन एक्ट के अमेंडमेन्ट में मूल में विचार करते समय हमने इस हिस्से को डिलीट कर दिया था कि जिसके जरिये जागीर इलाके में जब तक खुदकाश्त की समस्या हल न हो जावे तब तक खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकें। यह जो क्लॉज़ था अब डिलीट कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ यह भी डिलीट हो जाए तो उपयुक्त होगा क्योंकि हमने जो कैटेगरीज़ रखी हैं उसके बाद जो भी आदमी आज के दिन जिस रोज कि यह एक्ट पास होगा जमीन पर काबिज है उसके खातेदारी राइट्स एक्रयू न हों, यह अच्छा नहीं है।

जिस प्रकार खालसे में हरेक टीनेन्ट को उस रोज सिवाय सब टीनेन्ट के खातेदारी राइट्स एक्रयू होंगे उसी प्रकार जागीर इलाके में भी काश्तकार को खातेदारी राइट्स एक्रयू होने का अधिकार होना चाहिये। यह जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अमेन्डमेन्ट की एक तरह की कोन्सीक्वेशन चीज है जो यहां पर भी आवश्यक है इसलिए यहां पर भी यह उपखण्ड डिलीट होना आवश्यक है।

अब सब क्लॉज (१५) के डिलीशन के बारे में पहले यह कहा गया कि लैण्ड होल्डर एज़ खुदकाश्त के अन्दर खातेदारी राइट्स एक्रयू नहीं हो सकते या फिर सब क्लॉज (१६) पर विचार कर रहे हैं और जैसा हमने स्वीकार किया उससे स्पष्ट है कि खातेदारी राइट्स खुदकाश्त के लैण्ड में भी, खातेदार के लैण्ड में भी एक्रयू हो सकते हैं तो उसमें अगर एक्रयू हो सकते हैं तो यहां १५वां सब क्लॉज़ उपयुक्त नहीं होगा इसलिये यह भी डिलीट होना चाहिये। क्योंकि डिलीट होने का संशोधन है उससे मैं सहमत हूं।

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—इसका प्रोविजो भी तो हटेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—yes.

Page No.38

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes shri Badri Prasad

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड १५ के उपखण्ड (१४) में श्री हरिकृष्ण व्यास और श्री बद्रीप्रसाद ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

दोनों के संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड १५ को उपखण्ड (१५) में श्री किशनलाल शाह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ के उपखण्ड (१४) में श्री मोतीलाल चौधरी और श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो संशोधन रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकार किये गये।

(विराम)

Yes. Shri Shri Das Goel.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १५ के उपखंड (१४) में श्री श्रीदास गोयल ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १५ के उपखंड (१४) और (१५) में श्री नाथूराम मिर्धा ने रखे हैं वे स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

श्री मिर्धा के संशोधन स्वीकृत हुए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसमें कुछ ऐसे भी हैं दूसरों के, जिन्होंने इन क्लॉजेज़ डिलीट कराया था।

श्री अध्यक्ष— as amended which have been announced in the House or if the House wants I announce it. This is a pure negative amendment. Deletion of sub-clauses (xiv) and (xv) including the provi so of clause 15.

[खण्ड १५ के (१४) व (१५) ये विधेयक में से सदन की आज्ञा से हटाये गये]

(विराम)

The Hon'ble Member moving it I think gives his consent for the deletion of the proviso and does not press for the new proviso to be added.

श्री नाथूराम मिर्धा—My amendment should be passed as I have moved. proviso in the amended form will be there.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—proviso in an amended form to be added.

श्री नाथूराम मिर्धा—If you like I can read the whole section as it will read.

श्री अध्यक्ष—The proviso is with me.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—This proviso will be substituted by a new one, Sir.

श्री अध्यक्ष—That is what I wanted to enquire from the Minister-in-charge of the Bill.

(विराम)

यह प्रोवीज़ो पढ़ देता हूं।

"Provided that the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, declare that any land which is under shifting or unstable cultivation, shall cease to be a land for such cultivation and thereupon such land shall be available for the grant of khatedari rights and the State Government may by a notification; declare that any land which was not at the commencement of this Act under shifting or unstable cultivation shall at any time after such commencement be under such cultivation from such date as may be specified in this notification and thereupon such land shall be available for such cultivation."

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ के अन्तर्गत अभी पढ़ा गया प्रोवीज़ो स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह प्रोवीज़ो स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड १५ के अन्तर्गत जो प्रोवीज़ो का संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है वह स्वीकार किया जाता है।

खंड १७

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१७ वें क्लॉज़ के सेकिन्ड पार्ट पर ज्यादातर बहस थी और मैं माननीय अध्यक्ष, सदन से निवेदन करूंगा कि सेकन्ड पार्ट इसमें से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Chand Mal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—मेरा एक अमेंडमेंट तो स्वीकार हो गया है 'खातेदार' शब्द डिलीट करने का।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सेकिन्ड पार्ट में नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—वह मंजूर कर लिया था आपने।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानकारी चाहता हूं कि श्री नाथूराम मिर्धा ने जो अमेंडमेंट रखे हैं उनको स्वीकार करते हैं या किनके ? क्लॉज़ १७ में इतने संशोधन हैं, श्री चांदमल मेहता, श्री नाथूराम मिर्धा, श्री हरिकृष्ण व्यास, श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नाथूरामजी ने जो एमेंडमेंट मूव किया है...।

श्री अध्यक्ष—एक मूव किया है नाथूरामजी ने।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो चांदमलजी का 'खातेदार' शब्द को हटाने का अमेंडमेंट था तो वह 'खातेदार' शब्द हटा कर टिनेन्ट रह जाय उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमलजी मेहता का कौनसा एमेंडमेंट स्वीकार करते हैं ?

"Delete the word 'khatedar' in line 3 of the clause." is it ?

श्री श्यामलाल गोयल—Amendment No 20.

श्री अध्यक्ष—इसका तो नाथूरामजी का अमेंडमेंट बिल्कुल फ़ेज्योलाजी का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बिल्कुल साहब।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको वोट पर रखता हूं।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक अमेंडमेंट मंजूर किया गया था माननीय मन्त्री महोदय द्वारा।

श्री अध्यक्ष—मैं सबको पढ़ देता हूँ। माननीय मन्त्री जी को यदि हां करना होगा, वे हां कर देंगे।

श्री जवानसिंह—इनके अलावा और था।

Page No.42

श्री अध्यक्ष—वह बतलाइये।

श्री जवानसिंह—"at the commencement of this Act" for deletion का, जो कि प्रोविजो २ में है।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १७ में ही।

श्री जवानसिंह—जी हां, प्रोविजो की सेकिन्ड लाइन में है।

श्री अध्यक्ष—I don't think he has given in writting. Give it now-

श्री जवानसिंह—इसमें "at the commencement ot this Act" के डिलीशन का...

श्री अध्यक्ष—"at the commencement of this Act" को डिलीट किया जाय (श्री जवानसिंह से) इसको राइटिंग में दीजियेगा या दिया हुआ है?

श्री जवानसिंह—अभी देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूरामजी मिर्धा ने खण्ड १७ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड १७ के अन्तर्गत श्री चांदमल मेहता का है वह...

श्री चांदमल मेहता—दो हैं।

श्री अध्यक्ष—(ए) में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १७ के अन्तर्गत श्री चांदमल मेहता का एक अमेंडमेंट जो लिस्ट नं० २ सीरियल नं० २० के ऊपर है, अमेंडमेंट (ए), वह स्वीकार किया गया।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, इस खण्ड पर मेरा संशोधन (बी) है उसको मैं वापिस लेना चाहता हूं।

Page No.43

श्री अध्यक्ष—क्या इसके लिये सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ ।

श्री जवानसिंह—मैंने जो संशोधन 'एट' के बजाय 'आफ्टर' शब्द करने का दिया था उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या श्री जवानसिंह को संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मोतीलाल चौधरी ने खण्ड १७ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या श्री श्यामलाल को संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि खण्ड १७ के प्रोविज़ो (२) में एक संशोधन श्री जवानसिंह ने रखा है कि "the words, 'at the commencement of this Act' लाइन २-३ में है उन्हें डिलीट करने का ; क्या सदन को यह स्वीकार है ? जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहे और जो विपक्ष में हैं वे ना कहें ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—श्री मोतीलाल चौधरी के दो संशोधन हैं, उनमें से जो दूसरा संशोधन है : Add the words, 'and also the land required for the construction of reservoir or Tanka' इसको मैं एग्री करता हूं ।

श्री चांदमल मेहता—केचमेन्ट एरिया को अलग करते हुए ।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है पूरा संशोधन मंजूर नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसमें से केचमेन्ट एरिया को हटाकर : 'also the land required for the construction of reservior of Tanka'

श्री अध्यक्ष—रिज़र्वायर एन्ड टेंक तक स्वीकार करते हैं ? इसको फिर से लिख कर दे दीजिये ।

प्रश्न यह है कि खन्ड १७ के अन्तर्गत एक्सप्लेनेशन जो इस प्रकार है :

" 'A residential house' shall Include an enclosure or shed for cattle as well as accommodation for stocking seed, fodder and agricultural implements." उसके शब्द 'implements' के आगे ये शब्द और बढ़ा दिये जायं :

"and also the land required for the construction of reservior of Tanka'

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Page No.45

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड १७, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १७, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्लज़ १७ के पार्ट (१) को डिलीट करने के लिये मैंने निवेदन किया था। पार्ट (१) डिलीट करने के बाद संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १७ पर एक संशोधन श्री मिर्धा जी का था जिसे आपने स्वीकार किया था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पार्ट (२) को डिलीट करने का संशोधन मैंने अपनी तरफ से मूव किया था। 'to use the waste-land of the village for grazing his cattle and other domestic animals, and threshing corn.'

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I beg permission of the House to move this amendment.

श्री अध्यक्ष—राइटिंग में दे दीजिए। We go ahead and you give in writing in the sense indicated.

(चुप्पी)

प्रश्न यह है कि खण्ड १७ में जो उप खण्ड (२) है उसे डिलीट कर दिया जाय। यह संशोधन श्री बृजसुन्दरजी ने रखा है। क्या इसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड १७ का उपखण्ड (२) डिलीट किया गया।

(विराम)

अब पुनः प्रश्न यह है कि खण्ड १७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १७, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.46

खण्ड २७

श्री मोहनलाल सुखड़िया (राजस्व मंत्री)—इसमें अध्यक्ष महोदय, उस रोज के वाद-विवाद में यह था कि जब पर्सनल लॉ हमने स्वीकार किया है तो फिर मेल्स और फीमेल्स में भेद करने की आवश्यकता नहीं है; जो २७, २८ और २९ खण्डों में आता है उपयुक्त नहीं है। इस भेद को हटाना ठीक होगा। इस पर मैं भी सहमत हूं। २७, २८ और २९ तीनों खण्ड डिलीट किये जायं लेकिन उसके साथ ही यह आवश्यक होगा कि क्लॉज़ २६ में से 'मेल' शब्द को हटाना होगा और फिर : "when a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he is subject"

केवल इतना ही रह जायगा। वैसे हम २६ वे क्लॉज़ को स्वीकार कर चुके हैं लेकिन उसमें यह अमेन्डमेन्ट करना कॉन्सीक्वेन्टली नेसेसरी हो जायगा।

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट मिनिस्टर महोदय ने बताया उसके साथ में "succession to female tenant" भी हटाने का है।

श्री अध्यक्ष—What is intended is not clear to me. Is it clear to the House ?

कुछ माननीय सदस्य—Yes.

श्री अध्यक्ष—All right. Then I put it to vote.

प्रश्न यह है कि खण्ड २७, २८ और २९ विलुप्त हों।

(स्वीकृत)

खण्ड २७, २८ और २९ विलुप्त हुए।

(विराम)

खण्ड २६ पास हो चुका है लेकिन यदि फिर चाहें कि २६ में संशोधन कॉन्सीक्वेंशियल तो फिर संशोधन हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"succession to male" में से "male" हट जायगा सिमिलरली जहां "male tenant" लिखा है उसमें से male हट जायगा।

श्री अध्यक्ष—संसोधन लाइयेगा, लिखकर राइटिंग में।

Page No.47

श्री जवानसिंह—लिबरल हैं इसलिये लेना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—The House is entitled to take any attitude-liberal or conservative; खण्ड २६ में जो संशोधन है कि शब्द "male" को दोनों जगहों से हटा दिया जाय, इसके शोर्ट टाइटल में और बोडी ऑफ दी क्लॉज़ से उसे हटाने के बाद क्लॉज़ २६ इस तरह पढ़ा जायगा :

"Succession to tenant.-When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he is subject."

क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

खण्ड २६ के अन्तर्गत संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

पुनः प्रश्न यह है कि खण्ड २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खन्ड ३३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—खण्ड १६ बी.सी. एण्ड डी. बाकी है।

श्री अध्यक्ष—१६ बी. सी. और डी.। ३३ में भी तो अमेंडमेंट मूव हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसे बाद में लेंगे।

खन्ड १६ बी

श्री अध्यक्ष—खण्ड १६ बी। श्री किशनलाल शाह।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 16 B-

"Substitute the figure '16A' for the figure '15A'."

"Clause 16B-Procedure for acquisition of khatedari rights—(i) on receipt of an application under Section 15A the Sub-divisional Officer shall issue a notice to the land-holder informing him that if he desires to contest the application he must submit his objections in writting within thirty days of the receipt of the notice."

जहां इसनें '१५ ए', दर्ज किया गया है, १५ ए, इस एक्ट में कोई क्लॉज़ नहीं है जिसके मातहत प्रार्थना-पत्र एस. डी. एम. के पास भेजा जाय; वह १६ ए है। यह एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसके लिये कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १६ बी. में मेरे २ अमेंडमेंट हैं। एक सब क्लॉज़ (२) में है और दूसरा (४) में है। सब क्लॉज़ (२) में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"(II) If the land-holder contests the application the Sub-Divisional officer may after holding such enquiry as he may deem necessary either reject the application if it contravenes the provisions of this chapter or grant khatedari rights subject to the provisions hereinafter contained."

इस पूरे क्लॉज़ को पढ़ने के बाद विदित होगा कि इस सब क्लॉज़ (२) में प्रोवाइड किया गया है कि लैन्ड होल्डर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अपने क्लेम की एप्लीकेशन एस. डी. एम को दे।

और सब क्लॉज़ (३) में उन केसेज के लिये प्रोवाइड किया गया है जिनके लिये लैन्ड होल्डर कन्टेस्ट करे, पर कहीं यह नहीं दिया गया है कि अगर लैंड होल्डर कोई एप्लीकेशन नहीं दे तो क्या होगा, क्लेम नहीं करेगा तो क्या होगा। बहुत से केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें एस. डी. एम. के पास एप्लीकेशन पेश हुई और उसमें कोई कन्टेस्ट नहीं करें।

इसनें उन्हीं का जिक्र है कि जिनका लैंड होल्डर और सब टिनेन्ट के बीच में कन्टेस्ट हो, लेकिन जिन केसेज में कन्टेस्ट नहीं हो लैंड होल्डर की तरफ से लेकिन एप्लीकेन्ट की तरफ से एप्लीकेशन ऐसी हो कि उनमें डिफेक्ट है उनको एस. डी. एम. बिना प्रोवीज़न कैसे रिजेक्ट करे अतः 'If the land-holder contests the application इनको डिलीट कर दिया जाय।

दूसरा अमेंडमेंट सब क्लॉज़ (४) में है :

"In sub-clause (iv) insert the following between the words 'applicant' and 'in accordance' in lines 2 and 3, 'after consdiering the claim sudmitted by the landholder.' "

Page No.49

[श्री श्यामलाल गोयल]

यह क्लॉज़ जो है इस वक्त इस तरह है :

"The Sub-divisional Officer shall determine the amount of compensation for the grant of khatedari rights to the applicant in accordance with the average price of such land as fixed in accordance with the next following section."

अब वह इस तरह से हो जायगा कि :

"The Sub-divisional Officer shall determine the amount of compensation for the grant of Khatedari rights to the applicant after considering the claim submitted by the land-holder and in accordance with the average price of such land as fixed in accordance with the next following section."

ये वर्ड्स इसमें होना जरूरी है कि एस. डी. एम. डिसिजन देने से पहले किन किन चीजों को कन्सीडर करेगा और जो डिटेल लैंड होल्डर दे उनका कन्सीडरेशन जरूरी है इसलिये, सब क्लॉज़ (४) यह होना जरूरी है।

मैं अपने दोनों अमेंडमेंट सदन के सामने पेश करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सदन इनको स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा टिनेन्सी एक्ट का खण्ड १६ (बी) है वह इस प्रोसिजर को बताता है कि सब टिनेन्ट के या खुदकाश्त के टिनेन्ट को खातेदारी हकूक हासिल करने के लिए एडॉप्ट करने पड़ेंगे, उसको अर्जी देनी पड़ेगी और उस अर्जी में आगे किस तरह से डील विथ होगा यह खण्ड १६ (बी) में ले डाउन किया है। मौजूदा खण्ड १६ (डी) के सब क्लॉज़ (५) में मेरा जो संशोधन है वह निम्न प्रकार है और इन चारों खण्डों के संशोधन के बाद भी मैंने कुछ और सब क्लॉज़ इस क्लॉज़ में जोड़ने के लिए संशोधन पेश किये हैं। मैं इन संशोधनों को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डील विथ करूंगा और बताऊंगा कि वे क्यों रखे गये हैं।

अभी मौजूदा क्लॉज़ जो १६ (बी) का है उसमें मेरा संशोधन है वह माननीय अध्यक्ष, एक बहुत ही फोर्मल तरीके का है। मौजूदा क्लॉज़ इस प्रकार है : On receipt of an application under section 15A the Sub divisional Officer shall issue a notice to the land-holder informing him that if he desires to contest the application he must submit his objections in writing within thirty days of the receipt of the notice."

Page No.50

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तो यहां पर क्लॉज़ १५ ए का जो हवाला दिया गया है वह गलत छपा है। इसलिए मेरा संशोधन यह है किया यह खंड १६ ए जो अभी पास किया है जिसके नीचे खातेदारी राइट्स के लिये एतराज देना चाहते तो यहां पर इस खण्ड की संख्या है वह १६ ए होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—आपका अमेंडमेंट तो १६ (ए) ए है।

श्री नाथूराम मिर्धा—हमने जो यह रखा है वह १६ (ए ए) के रूप में पास किया है। यह तो सिर्फ डेफिनिशन है। जो अभी पास किया है वह १६ (ए)है, यह गलती से १६ (ए ए) छपा है! इसलिये वह (ए) होना चाहिये था। इसके बाद में उप खण्ड (२) में मेरा संशोधन है। क्लॉज़ (२) हमारे एक्ट का इस तरह है :

"Whether or not the land-holder contests the application he shall submit a detailed claim in the prescribed form in respect of the amount of compensation which should be paid to him for the acquisition of khatedari rights in the land by the applicant."

मेरा जो संशोधन इस क्लॉज़ में है वह यह है कि जो इस क्लॉज़ के आखिरी शब्द आए हुए है "by the applicant" इन शब्दों को हटा दिया जावे और "and for improvements existing thereon in respect of which the application has been made." शब्द और जोड़ दिये जावें। ये शब्द जोड़ने इस लिये लाजमी हो जावेंगे कि अगर आप, १६ (ए) में मैंने जो संशोधन रखा है उसमें जमीन के खातेदारी हक हासिल करने के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट की बात है उसको भी जोड़ा था। इसका मतलब यह कि आगे जो खण्ड और संशोधन रखे हैं इससे यह साबित होगा कि इम्प्रूवमेंट के बारे में खातेदारी और लेन्ड होल्डर को कुछ न कुछ, शिकमी काश्तकार के लिए अपने हकूक हासिल करना चाहते हैं, देने पड़ेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन क्लॉज़ १६ (डी) में रखा है बहुत जरूरी है।

इसके बाद में जो तीसरा संशोधन, इस सब क्लॉज़ (३) के बारे में रखा है वह यह है कि मौजूदा सबक्लॉज़ (३) है वह सबक्लॉज़ ठीक शब्दों में नहीं रखा गया है। इसके लिये इसे हटा देना चाहिये और इसके बजाय में सब क्लॉज़ जो इस प्रकार पढ़ा जायगा सबस्टीट्यूट करना चाहिये :

"(iii) If the land holder contests the application, the Sub-Divisional Officer may after holding such inquiry as he thinks fit :

(a) reject the application, in whole or in part, if the applicant holds as a tenant land which together with the land held by him as a tenant of

[श्री नाथूराम मिर्धा]

khudkasht or sub-tenant is in excess of the area mentioned in section 16 A A, or"

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

"(b) subject to the provisions hereinafter contained, grant khatedari rights in respect of the land for which the application is made."

इसलिए मेरा संशोधन सब क्लाज (३) में जो है इसको पढ़ने से साफ रोशन होगा कि जो मौजूदा सब क्लॉज (बी) है और इसमें जो मैंने अमेन्डमेंट रखा है उसके उद्देश्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। सिर्फ प्रोसीजर जो मौजूदा फोर्म में है वह बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि एक शिकमी काश्तकार या खुदकाश्त का काश्तकार अगर यह एप्लीकेशन देता हैं तो वह एस. डी. ओ. के पास जावेगी और वहां पर वह किस तरह से डील विथ होगी यही प्रोसीजर मैंने सब क्लॉज (३) में बताया है और (ए) व (बी) में साफ यह बताया गया है कि इस तरीके से अगर वह

"reject the application in whole or in part, if the applicant holds as a land which together with the land held by him as a tenant of khudkasht or sub-tenant, is in excess of the area mentioned in 16A A."

यदि उसके पास में जमीन हो, अगर वह जमीन जो आगे है और अब जो जमीन सब टिनेन्ट की हैसियत से खातेदारी में देने जा रहे हैं, अगर वह एरिया ज्यादा है जो १६ (ए) में प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है वह होल में या पार्ट में किया जावेगा और इसके बाद में (बी) में यह बताया कि जो प्रोविजन आगे क्लॉज़ में आया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर उनको खातेदारी के राइट्स नहीं देना है या देना है तो उस एप्लीकेशन को डिनाई करे या मंजूर करे।

इसके ... सब क्लज़ (४) जो मौजूदा टीनेन्सी बिल का है उसको इस तरह रखने के लिए कहा है और उसमें मेरा कोई अमेन्डमेंट नहीं है। मगर सब क्लॉज़ (४) के बाद में और क्लॉज़ जोड़ने के लिये मेरा संशोधन है और वह इसलिये है कि अगर हम पढ़ेंगे तो प्रोसीड के वे क्लीअरकट वे में रखते है, जैसा क्लाज़ १६ (ए) के मेन क्लॉज़ में हमने कुबूल किया है कि खातेदारी हक़ूक या अगर इम्प्रूवमेन्ट हुआ होगा तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। उस जमीन का उन खातेदारों को या खुदकाश्त होल्डर को जिनकी जमीन पर खातेदारी हक़ूक हासिल करना चाहते तो मौजूदा सब क्लॉज़ (४) के बाद मैंने सब क्लॉज़ (५) जोडने का संशोधन रखा है जो इस प्रकार होगा :

"(v) Where the land-holder claims compensation for any improvements made by him or at his expense, the Sub-Divisional Officer shall determine the

[श्री नाथूराम मिर्धा]

existing value of the improvements in the prescribed manner and add such value to the price of the land determined under the foregoing sub-section and such valu e shall be payable along with the price of the land by a tenant of khudkasht or sub-tenant, as the case may be."

तो इस खण्ड में मैंने वह प्रोसिजर बताया है जो कि अगर एक लेन्ड होल्डर जिसने इम्प्रूवमेन्ट किया है अपनी जमीन में, जिनको कि खातेदारी राइट्स मानने जा रहे हैं अथवा जो सब टिनेन्ट खातेदारी हक़ूक मांगने जा रहा है तो उस लेन्ड होल्डर को यह क्लेम करने का अधिकार होगा कि जो इम्प्रूवमेन्ट किया गया है उसकी कीमत क्या है और उसको एस. डी. ओ. केल्कुलेट करेगा और वह जमीन के मुआवजे के साथ साथ जो जो इम्प्रूवमेन्ट्स हैं उनकी वेल्यु भी केल्कुलेट करेगा और लेन्ड होल्डर उसको पाने का अधिकारी होगा।

इसके साथ में मैंने जो नया सब क्लॉज़ (६) जोड़ने का संशोधन रखा है वह इस प्रकार है :

"(vi) In areas where wells are constructed by land holders or other persons on lands in which khatedari rights belong to tenants or accrue to the tenants under this Act, and the land holder or such person has by custom been realising a fixed charge or share of the crop, known as nal-bant in lieu of irrigation of such land from the said wells, the Sub-Divisional Officer shall determine the compensation payable for the acquisition of rights in such wells in the manner laid down in sub-clause (vii) and such rights shall vest in the tenants of such land from the date of the order of the Sub-Divisional Officer in this behalf."

इस खण्ड के पढ़ने से भी यह साफ रोशन होगा कि जैसी कि नाल-बंट की प्रथा जो कई जगह पर चालू है और उसका मतलब यह है कि वह खातेदार किसान जो उनसे लेता है उनसे जिन्होंने अपनी जमीनों में कुछ कुए सिंचाई की इम्प्रूवमेन्ट के लिए बना रखे हैं और जो किसान उन बेरों के जाल या जमीनों में काश्त कर रहे हैं उस जमीन का लगान देने के साथ साथ नाल-बंट के रूप में यानि इर्रिगेशन के लिए या उन कूओं से पानी पिलाते हैं उसका कुछ शेयर के रूप में, रेन्ट के रूप में कुछ लगान के रूप में खातेदार टिनेन्ट या लेन्ड होल्डर वसूल करते हैं यानि इर्रिगेशन फेसीलिटीज़ जो कूए बनाकर दी हैं और चूंकि हम उन कुओं में टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब टिनेन्ट को हक़ूक देने जा रहे हैं, इन जमीनों पर खातेदारी के हक़ूक देने जा रहे हैं, उन लोगों के हक़ूक बेमाने होंगे अगर उन लोगों को इर्रिगेशन की फेसिलीटीज़ उन जमीनों के साथ साथ नहीं मिलती है। तो यह जो रेन्ट है, नाल-बंट के रूप में चार्जेज़ लेने का हक है उन चार्जेज़ के बजाय अब हम उनको पूरे राइट्स देने जा रहे हैं, उन लोगों से दिलवाने जा रहे हैं, वे जमीनें जिनको खातेदारी का हक़ूक हॉसिल हो चुका है यानि इस कानून के बन जाने के बाद में उन लेन्ड होल्डर्स की जमीनें हम उनको दिलवाने

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उसका भी कम्पेन्सेशन, जिसका दिलाने का तरीका आगे की धाराओं में दिया हुआ है उस रूप में उनको कुछ न कुछ दिलाया जाय। इसलिए सब क्लॉज़ (६) को जोड़ने का जो मेरा मकसद है वह इससे साफ रोशन हो जायगा।

सब क्लॉज़ (७) जो संशोधन के रूप में मैं इस धारा में जोड़ना चाहता हूँ, माननीय चेयरमेन, वह इस प्रकार है :

(vii) The compensation for a well specified in clause (vi) shall be determind by the Sub-Divisional Officer in the following manner, that is to say,--

(a) Where nal-bant is realised in cash, the compensation shall be 20 times the annual charge paid by the tenant calculated on the basis the average charge paid during five years preceding the agricultural year in which compensation is determined,

(b) Where nal-bant is realised in the form of a share of the crop, the compensation shall be fifteen times the annual income form such share, calculated on the basis of the average share realised during the five years preceding the agricultural year in which the compensation is determined, subject to the condition that the maximum share of the holder of nal-bant in any year shall not exceed the limit which maybe prescribed by the State Government for the district in which such land is situate"

यह मेरा जो सब क्लॉज़ (७) को मूल क्लॉज़ में जोड़ने का संशोधन है उसका मकसद माननीय चेयरमेन, यह है कि जब ऊपर के क्लॉज़ों में हम यह कह चुके हैं कि जिस एस. डी. ओ. के पास में यह अर्ज़ी दी जावेगी उस एस. डी. ओ. को कुछ न कुछ कम्पेन्सेशन तय करना पड़ेगा उन खातेदारों को और खुदकाश्त होल्डर को देने के लिए, जिनके ऊपर कि हम सब टिनेन्टया टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को राइट्स दिलाने जा रहे हैं। तो उस कम्पेन्सेशन का या नाल बंट के सिलसिले में ऊपर के क्लॉज़ में जो जिक्र किया गया है उसको केलकुलेट करना और उसका कम्पेन्सेशन किस तरह केलकुलेट करना उसके लिए जो डिटेल्ड प्रोसिजर है वह सब क्लॉज़ (७) में है जो इस संशोधन के रूप में इस सदन के सामने रखा गया है। सब क्लॉज़ (१) में यह बताया गया है कि जहां नाल बंट या इरीगेशन चार्जेज़ केश के रूप में होंगे वहां कम्पेन्सेशन किस तरह से तय किया जायगा। "the compensation shall be 20 times the annual charge paid by the tenant calculated on the basis of the average charge paid during 5 years preceding the agricultural year in which compensation is determined"

पिछले पांच साल में उसने एवरेज कितना नाल बंट दिया है केश के रूप में, तो उस एवरेज का बीस गुना कम्पेन्सेशन होगा और इस तरीके से नाल बंट अगर मान लो काइन्ड के रूप में

[श्री नाथूराम मिर्धा]

या शेयर के रूप में दिया है तो उसका जिक्र सब क्लॉज (बी) में किया है कि वह उसके १५ गुना होगा जो कि पिछले पांच साल का एवरेज है। उनको १५ गुना मुआवजे के रूप में एस. डी ओ दिलवा सकेगा। उसके बाद में लिमिट लगाई गई है : "not exceed the limit which may be prescribed by the State Government." स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि : "maximum share of the holder of nal-bunt in any year shall not exceed the limit which may be prescribed"

अगर मान लीजिये कि लिमिट सरकार प्रेसक्राइब नहीं करे और नाल बंट-के रूप में अधिक चार्जेज़ लिये गये हैं तो सरकार उसको रिकोग्नाइज़ नहीं करेगी। लिमिट कहां तक है एवरेज निकालने के लिए, उस हद तक सरकार नाल-बंट को रिकोग्नाइज़ करेगी और इसका हवाला इस सब क्लॉज़ में दिया हुआ है।

इस तरीके से माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने जो संशोधन इस क्लॉज़ में रखे हैं वे इस प्रोसिजर को साफ तौर से बताते हैं। जब वह एप्लीकेशन टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या सब-टिनेन्ट के हुकूक हासिल करने के लिए एस. डी. ओ. के सामने जावेगी तो उस एप्लीकेशन में कौन कौनसी और क्या क्या बातें लगानी पड़ेंगी वे सब सब-क्लाज़ (२) व (३) में हैं। उसके बाद एस. डी. ओ. को किस तरह से प्रोसीड होना है और कम्पेन्सेशन किस तरह से तय करना है यह सारा प्रोसिजर का जिक्र है, वह मैंने माननीय चेयरमेन, इन संशोधनों के रूप में यानि सब क्लाज़ (६) व (७) में रखे हैं और मैंने क्लॉज़ बाइ क्लाज़ पढ़ कर सदन के सामने वे संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं आशा करता हूं कि उसी लाइट में इन संशोधनों को देखते हुए सदन उनको स्वीकार करेगा।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इस खण्ड १६ के उप खण्ड (३) में, उसके लिये केवल एक ऐसा मौका दिया है कि हम संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य की इसके लिये थोडी बहुत प्रशंसा करें तो मेरे ख्याल से उचित होगा।

मौजूदा खण्ड १६ के उप खण्ड (३) में जहां इम्प्रूवमेन्ट्स का सवाल है उसका इसमें समावेश नहीं किया गया है। उसमें इम्प्रूवमेन्ट्स का कम्पेनसेशन दिया जायगा। जो बहुत ही वाजिब चीज़ थी और इसका समावेश इस संशोधन में किया गया है,इसके लिये सरकार को धन्यवाद दिया जाय तो कोई बेजा बात नहीं होगी; इस सूरत में कि इस संशोधन को मन्जूर किया जाय।

इस सिलसिले में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस खण्ड के उप खण्ड में (७) जो अभी संशोधित रूप से प्रस्तुत किया गया उस पर मुझे कुछ निवेदन करना है, वह इस प्रकार है। जहां पर कन्सेशन देने का सवाल है नाल-बंट के लिये जो केल्कुलेशन का बेसिस रखा है वह

Page No.55

[श्री जवानसिंह]

पांच साल का एवरेज रखा है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य के दिमाग में इस बात का प्रिज़म्पशन रहा है कि वह नाल-बंट को उसी हालत में सोच सकते हैं जब कि सब टिनेन्ट, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त. नाल-बंट पांच साल से ज्यादा अर्से से देता आया हो। मैं माननीय सदस्य से आपकी मार्फत, माननीय चेयरमेन महोदय, पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में क्या होगा, जब कि नाल-बंट देने का समय जो पांच साल की एवरेज रखी है उससे कम हो उससे कम समय के लिये नाल-बंट सब टिनेन्ट, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को दिया हो। उस सूरत में क्या परिस्थिति होगी, आप किस तरह से कम्पेन्सेशन केलकुलेट करेंगे, यह रेकरिंग रह जाता है, इस बात में गलतफहमी रह सकती है, उसके बारे में आपने क्या सोचा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा: पांच साल से कम पीरियड के लिये नाल बंट किसी सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को दिया हो। जहां पांच साल से ज्यादा अर्से के लिये दिया है तब तो उसके लिए केल्कुलेशन बहुत आसान हो जायगा उसका एवरेज निकलेगा पांच साल का। लेकिन अगर वह समय पांच साल से कम हो, दो साल पहले पानी लेना शुरु किया हो, उस दो साल की निस्बत आपने क्या निर्णय लिया, इसके लिये मेरा सुझाव है कि इसमें इस प्रकार का प्रोविज एड कर देना चाहिये कि आस पास के एरियाज़ को लिया जाय। उसका पांच साल का क्या एवरेज निकलता है उसी हिसाब से उसका भी एवरेज निकाल लिया जाय। यह सिद्धान्त हरेक परिस्थति में लागू हो सकता है, नहीं तो एक प्रकार से वह कम रह जायगा।

दूसरा निवेदन यह करना था कि जहां पर हमने इस केल्कुलेशन को आधार माना है उन पांच साल के दर्म्यान में, जिस प्रकार नाल बंट का प्रयोग किया होगा उसी को हम बेसिस मानकर उसका बीस गुना इम्प्रूवमेन्ट्स की एवज़ में अदा कर दें. सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त अदा करवायगा। इसके आखिर में एक लिमिटेशन रखी है: "subject to the condition that the maximum share of the holders of nalbant in any year shall not exceed the limit which may be prescribed by the state Government for the district in which such land is situate."

मेरा यह निवेदन करना है कि आज तक उस नाल बन्ट को वह खुदकाश्त होल्डर और खातेदार टिनेन्ट वसूल कर रहा है उस पर किसी प्रकार की कानूनी पाबन्दी नहीं लगी हुई थी और न यह डिक्लेअर किया, चूंकि नाल बन्ट बन्द है। जिस प्रकार से हमने कानून बनाया है काश्तकार १६ रेन्ट अदा करता है उसी प्रकार नाल बन्ट में किसी प्रकार की सीलिंग नहीं लगाई और न किसी प्रकार का कानून ही इसके लिये है। अगर हम किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाते हैं तो ज्यादा अनुचित है। इस चीज में कानून पास करने के बाद में आप कहेंगे कि जो हम मन्जूर कर चुके, सही है, उसके पीछे के अर्से के लिये कहेंगे कि जो वह ज्यादा थी। इसका एवजाना दिया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वही बाधायें होंगी। जब हमने इम्प्रूवमेन्ट्स के सिलसिले में इस आधार को माना है, पांच साल का एवरेज निकाल कर उसका बीस गुना कम्पेन्सेशन दिया जायगा तो वह कम्पेन्सेशन खातेदार टीनेन्ट को दिया जायगा। उसके ऊपर दूसरी और सीमा

[श्री जवानसिंह]

लगाना उचित नहीं होगा। सीमा नहीं तो कानूनी पाबन्दी अवश्य लगानी चाहिये। इस वक्त इस पर सीमा लगाना ठीक नहीं, इसलिये मै यह संशोधन जो मिर्धाजी ने पेश किया है उसमें मैं इस प्रकार करना चाहता हूँ। आखिर जो शब्द है subject to the condition that the maximum share of the holders of nal-bant in any year shall not exceed the limit which may be prescribed by the State Government for the district in which such land is situate." इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय। इतना कहकर आशा करता हूँ कि बाकी मिर्धाजी के संशोधन मन्जूर कर लिये जावेंगे।

श्री भैंरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय मिर्धाजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें मुख्यतया प्रश्न जमीन पर जो इम्प्रूवमेन्ट्स किये गये हैं उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाय, इससे सम्बन्धित है। जो संशोधन आये हैं, उन संशोधनों से इम्प्रूवमेंट्स के खास खास मुद्दों पर असर होगा, वह है नालबंट या सिंचाई के साधन, उनसे । राजस्थान में जहां नालबंट का प्रश्न उपस्थित होता है मैं समझता हूँ वह हिस्सा जयपुर डिविजन का होगा और जोधपुर डिविजन का भी कुछ हिस्सा इसमें आ सकता है। लेकिन जहां तक सिंचाई के साधन का प्रश्न उपस्थित होता है वहां यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जयपुर डिविजन, जोधपुर डिविजन के कुछ हिस्से में यह प्रश्न उपस्थित होता है उसी तरह राजस्थान के अन्य भागों में भी वहां के सिंचाई के साधनों के साथ और किस तरह का प्रश्न उपस्थित होता है? तो यह सवाल सामने पैदा होता है कि उदयपुर डिविजन, किशनगढ़ सब डिविजन, कोटा डिविजन है, जहां कि कुछ जमीन जागीरदारों द्वारा, खातेदार टिनेन्ट द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो साधन सम्पन्न हैं, जिनका जमीन से सम्बन्ध है, जिन्होंने तालाबों के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और सिंचाई के साधन जुटाये हैं, जब नाल-बंट यानि जिन्होंने कुए बनवाये हैं जमीन की सिंचाई के लिए उनको हम खातेदारी राइट देते हैं। उनका कम्पेन्सेशन देते हैं तो जिन्होंने तालाब बनवाये हैं अपना पैसा खर्च करके उन सब टिनेन्ट्स को राहत पहुँचाने के लिये क्या उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया जायं? मैं समझता हूं जहां तक संशोधन का प्रश्न है वह महज दो भागों के लिए हो सकता है लेकिन जब तालाबों का कम्पेन्सेशन नहीं दिलायेंगे तब तक जितने भी साधन खातेदार टिनेन्ट ने या जागीरदार ने सिंचाई के सम्बन्ध में जुटाये हैं उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिला सकेंगे। जागीरदारों के आखिर जितने भी इस प्रकार के टेक्स थे जिनके जरिये सिंचाई होती थी बड़े कल्टीवेशन का अधिकार जागीरदार को दिया है, और अब इसके कारण हम यह मानकर कि ऐसे तालाब जिनके पास हैं उनको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे जहां जागीरदार स्वयं काश्त करता है वे राइट उसके कन्फर्म होंगे । इस कारण इसका असर सब टिनेन्ट के सिंचाई के साधनों पर होगा। ऐसा माना जाता है, जिस तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है उस तालाब के पेटे की नहीं बल्कि उस तालाब के पानी से जिस जमीन को सिंचाई की जाती है जिस तरह से जागीरी एबोलिशन एक्ट में रखा खुदकाश्त की जमीन दर्ज कर दी, सेटलमेन्ट रेकर्ड में जागीरदारों ने अपने नाम जमीन दर्ज करा दी।

Page No.57

[श्री भैरोंसिंह]

अब उस जमीन में कोई दूसरा काश्त करता है और दूसरे के काश्त करने के कारण हमने इस एक्ट के मातहत जो क्लॉज़ १६ ए. पास किया है उसके अन्दर दिया है कि उसको खातेदारी राइट्स मिल सकते हैं और दरख्वास्त भी वह दे सकता है।

तो सोचना यह पड़ेगा कि जब कागजों में जागीरदार का नाम दर्ज है या जो खातेदार टिनेन्ट के नाम है उस जमीन में जब हम सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देते हैं तो उस वक्त उससे जमीन के कम्पेन्सेशन के साथ साथ क्या नालबंट पर भी कम्पेन्सेशन लेना चाहिये या टैक्स को ठीक करने में जिसने रुपया इन्वेस्ट किया, बारानी को चाही जमीन बनाई टैक्स के जरिये से, उस पट्टे की जमीन में या तालाब के नीचे की जमीन में ऐसे लोगों के लिए भी कम्पेन्सेशन का प्रोवीजन क्यों नहीं रक्खा, जिनके इन्वेस्टमेंट का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे।

अब यदि नालबंट के लिये प्रोवीजन कम्पेन्सेशन का रक्खा गया तो आवश्यकता इस बात की भी है कि जब नाल बनाने वाले के साथ न्याय किया जाता है तो तालाब बनाने वाले के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। अगर आपने यह न्याय नहीं किया तो फिर तालाब बनाने में किसी भी प्रकार का लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिये मैं माननीय मेरे मित्र नाथूरामजी मिर्धा से निवेदन करूंगा कि जहां नालबंट का प्रश्न आता है वहां टेक्स के चार्जेज़ के बारे में भी अपना संशोधन और कर लें और इस प्रकार का संशोधन यह हो सकता है जो सब क्लॉज़(६)में उन्होंने कहा है कि"(vi) In areas where wells are constructed by land-holders..." इसमें "wells" शब्द के साथ साथ "Tanks" और बढ़ा दिया जाए तो इसमें सारी की सारी चीज आ सकती हैं।

अब रहा सवाल यह कि टेक्स का जो कम्पेन्सेशन देना है उसको किस तरह से डिटरमिन किया जावे। वह नाल बंट के साथ साथ एड कर दें तो सारी परिस्थिति ठीक हो सकती है।

दूसरा जो संशोधन माननीय मिर्धाजी का था वह सब क्लॉज़ (३) के बारे में और सब क्लॉज़ (३) को उन्होंने सब्स्टीट्यूट किया है एक संशोधन से। इसके उन्होंने दो पार्ट कर दिये हैं:

"(iii) If the land holder contests the application, the Sub-Divisiona Officer may after holding such enquiry as he thinks fit,"

और उन्होंने दो चीजें रक्खी हैं। एक तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं होल्ली और पार्टली...

"(a) Reject the application, in whole or in part, if the applicant holds as a tenant land which together with the land held by him as a tenant of Khudkasht or sub-tenant is in excees of the area mentioned in section 16AA, or"

और दूसरे में लिखा है कि:

[श्री भैरोंसिंह]

"(b) subject to the provisions hereinafter contained grant khatedari rights in respect of the land for which the application is made-"

यदि इनके स्थान पर जो इस ओरिजिनल बिल में है सब क्लॉज़ (३) को पढ़ जावें हैं तो बिल्कुल मंशा स्पष्ट है :

"(iii) If the land-holder contests the application, the SubDivisional Officer may after hoiding such enquiry as he may deem necessary either reject the application if it contravenes the provisions of this Chapter or grant khatedari rights subject to the provisions hereinafter contained"

मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष तथ्य निकलने वाला नहीं है। जो कुछ उसमें इस वक्त है उसका मतलब यह है कि इस कानून के अनुसार सब टीनेन्ट को खातेदारी राइट्स दिये जा सकते हैं, दिये जावेंगे और यदि इस एक्ट के खिलाफ खातेदारी राइट प्राप्त करने की एप्लीकेशन दी जाती है तो रिजेक्ट कर दी जावेगी। अब क्लॉज १६ ए के मातहत श्री मिर्धा का जो अमेन्डमेंट था कि "land for which application is made is not in excess of the area prescribed by the State Government under Section 131"

इसके बाद मैं इस बात की आवश्यकता नहीं रहती है कि हम दुबारा इस चीज को रिपीट करें। एक सिद्धान्त हमने स्वीकार कर लिया कि जो गवर्नमेंट स्केल प्रेस्क्राइब करे उससे ज्यादा जमीन अगर है तो उस ज्यादा वाली जमीन के लिए खातेदारी राइट्स एक्यू करने के लिए दरख्वास्त देते हैं तो वह मिलेगी ; और क्लॉज़ १६ (ए) में प्रोवाइड कर दिया है कि दरख्वास्त नहीं दे सकते इसका ओटोमेटिकली मीनिंग यह है कि दरख्वास्त दे भी दी गई तो वह खारिज समझी जावेगी। तो इस तरह फिर उसको दुबारा एड करना कानून की दृष्टि से सुपरफ्लुअर्स चीज होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल बिल में जो क्लॉज़ ३ है उसमें इस प्रकार के किसी अमेन्डमेन्ट से संशोधन करने की बात है, बल्कि उन्होंने इस अमेन्डमेन्ट के भी दो पार्ट कर दिये हैं और क्लॉज़ १६ (ए) का जो संशोधन है वह रिपीटिशन है। इस नाते मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापिस विथड्रॉ कर लें तो उचित होगा।

दूसरा सवाल नाल-बन्ट के बारे में डिटर्मिनेशन के प्रश्न पर था। माननीय जवानसिंह जी ने विस्तार से इस सम्बन्धी बातें बताई और यह कहा कि राजस्थान में इस नाल के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जागीरदार या खातेदार टिनेन्ट ने इसमें अपनी मिहनत और अपना पैसा दोनों जुटाकर उन्होंने नाल बनाये और उस नाल बन्ट के तरीके भी लेने के अलग अलग हैं। कई जगह लिया जाता है रूपयों के हिसाब से पांच रूपया साल का, दस रूपया, बीस रूपया या पचास रूपया साल के और दूसरी तरह से नाल-बन्ट लिया जाता है क्रोप्स में शेयर के रूप में। ये दो चीजें उनके ध्यान में थीं और वे उन्होंने कहीं। लेकिन एक तीसरा तरीका भी और है। किसी जगह काश्तकार की मिहनत, किसी जगह सब टिनेन्ट की मिहनत और उनकी मिहनत के साथ साथ खातेदार या जागीरदार

[श्री भैरोंसिंह]

का पेशा। उस जगह लगान खास रूप में लिया जाता है। एक किसी ने नाल बनाई तो मिहनत किसान की होगी और पैसा जागीरदार या खातेदार का लगेगा। यह समझौता सब टीनेन्ट और खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर और खुदकाश्त टिनेन्ट या सब टिनेन्ट और जागीरदार के बीच में हो सकता है। यह पैसे और मिहनत का समन्वय है। इसका और एक रास्ता होता है वसूल करने का। जितने दिन का लगान लेगा उतने दिन का लगान साल उतारू होगा। राजस्थानी भाषा में इसे 'साल उतारू' ही कहते हैं। यह उस प्रकार होता है कि एक साल का लगान लिया १६), तो उस दूसरे साल लेगा १५), फिर उस तीसरे साल लेगा १४)। इस तरह का लगान उतरते उतरते वह उस स्तर पर आ जावेगा जो आज प्रचलित है। उस वक्त तक यह बन्ट पूरा हो सकता है। तो मेरा जहां तक ख्याल है महज उसी आधार पर आज भी नाल बनाई जाती है, क्योंकि बनाने वाले को विश्वास नहीं है कि आइन्दा, जो मैंने इम्प्रूवमेन्ट इस जमीन पर किया है, उसका मुआवजा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा और इस प्रकार का असन्तोष होने के कारण वह इम्प्रूवमेन्ट नहीं करता है पहले तो, पर अगर इस पर भी किसी ने हिम्मत करली तो वह इसी समझौते के आधार पर करता है।

तो उनका जहां तक यह संशोधन है वह दो चीजों पर अपना फैसला कर सकेगा, कैश में जो लेते हैं उसका और काइन्ड में जो लेते हैं उसका। इन दोनों का ही फैसला इससे हो जावेगा। पर यह जो एक विचित्र परिस्थिति है तीसरे सिस्टम के रूप में उसको डिटरमिन करने के लिए क्या रवैया है आपका और अगर इसको इसमें नहीं रक्खा गया तो नाल बन्ट के लिए कम्पेन्सेशन देने की या न देने को जो चर्चा है वह अधूरी ही छूट जावेगी और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं माननीय मिर्धाजी से फिर निवेदन करूंगा कि इस तरह का एक तीसरा क्लॉज़ और जोड़ दें कि इस रूप में जो नाल बन्ट का सिस्टम प्रचलित है उसमें भी उसे कम्पेन्सेशन मिले।

इन शब्दों से, मैं मिर्धाजी से निवेदन करते हुये, जो कुछ बातें मैंने अर्ज की हैं, उन पर वे गम्भीरता से विचार करके स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है और फिर इस संशोधन को इस क्लॉज़ में एडजस्ट करने का प्रयत्न करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री **ईश्वरीसिंह**—अध्यक्ष महोदय, जो नाल बन्ट का सवाल आया उस पर भैरोंसिंहजी ने यह कहा कि तालाब पर भी बन्ट का कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिया जावे। तो इस पर मेरा यह कहना है कि यह तो कुदरत की चीज है, इसको तो सबने मिलकर बनाया है, इस कुदरत की चीज को जागीरदार ने क्या बनाया है? जब यह कुदरत को चीज है तो इस पर जागीरदार को क्यों मुआवजा दिया जावे? ये तालाब जो हैं सारे गांव के बनाये हैं। जागीरदार ने तो जोर-जबर्दस्ती से उन्हें अपना बना लिया।

अगर पहले उन लोगों ने कहीं बन्ध और तालाब भी बनाये हैं तो कैसे बनाये हैं? उन्होंने बनाये हैं गांव के लोगों से बेगार लेकर। रोज रोज और महीनों बेगार की बारी उन्होंने बांधी और

[श्री ईश्वरसिंह]

इस तरह गांव के लोगों ने अपनी बेगार और अपनी खुद की मिहनत से उन्हें बनाया है। तो मिहनत सब गांव के लोगों ने की और इसका मुआवजा भी जागीरदार को मिले यह कोई न्याय की चीज़ है !

नाल-बन्ट में तो चलो उनको मुआवजा देना जायज है क्योंकि उन्होंने अपने पास से कुछ पैसा दिया है, रकम खर्च की है पर इन तालाबों पर क्या मुआवजा दिया जावेगा ? लोगों की मिहनत से ये बने हैं और कुदरत ने पानी दिया है उनमें, यह तो जब्बर अन्याय है, एक बात सोचो।

इस पर भी तीसरो बांटो लियो जो जातो हो तो तीसरा बांटा लिया जाने से नाल बन्ट मुकर्रर किया है। कोई सौ, दो सौ, तीन सौ, रुपया का सालाना फायदा है।

तीन सौ रूप्या रो कायदो है और सरकार ३०० रूप्या दिलावे है तो तीन सौ रुपया एक साल में नहीं दियो जाय। तीसरो बांटो लेणे के बाद फेर मुआवजो किस्यो बाकी रह गयो। पांच साल से इयां को रोलो चाल्यो आरियों है कि जागीरां खतम करी जायगी तो जागीरदारां नै कै कियो ने के बहुत सारी जमीन खुदकाश्त मायं राख ली और अब रोलो फेर दियो है कि मुआवजो दियो जायगो तो मुआवजो किण तरह सूं के सीकर के मांय राव राजा माधोसिंहजी हा उणने, ५६ में एक तालाब बणवायो हो के लोगों ने उण वखत रोजी मिल जाय और गाय बैलां पाणी पीता रैवे और शहर वालां ने पानी को फायदा हो। बठै का राजकुमार ने हजारों बीघा तालब में पाल कटवा कर खेती करवा दी है। तालाब बेकार हो गयो है तो इयां की चीजां को मुआवजो सरकार देणे की सोचती है तो काश्तकार किस्या रहेगा। मैं तो बराबर आप लोगां ने आ कहूं कि इस्यो स्वराज बणने के लिए माफ करो। सरकार २० गुनो मुआवजो देणे की कहे। अबार लगान १०० रु० देवे है तो मुआवजो २ हजार देना होगा तो अब तक बकाया लगान में लाखों रुपया है और ६ लाख रुपया सीकर ठिकाना ने माफ कराया तो जिका बकाया होगा तो माल वकाया मुआवजा देणे में शुमार होगा। सरकार ने एक बात छेड़ी है कि इतो घान कठे निबजे है के वे मुआवजो दे देवेगा। अब इंडे ही सुनरिया हाँ के आज भादवो विहे है और आज हालत आ है कि रोटी में चारो नहीं तो इं दशा में मुआवजे कैसे दे सकेगा, आ मुश्किल है। मुआवजो छेड लगान की उम्मीद को रोख की दिया जाय तो मुआवजो तो बाकी रहेगो और लगान भी नहीं भर्यो जायगो।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, जिस वक्त यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश हुआ था और उसके बाद आज यह पब्लिश हुआ है तो कहा यह जा रहा है कि इस बिल में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो थी वह यह है कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी के राइट्स मिलेंगे, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में पास होने के बाद कम्पेन्सेशन देने का जो तरीका अब रखा जा रहा है अमेंडमेन्ट्स के द्वारा और जिसकी कि हमें आशका है कि वह पास कर दिया जायगा, अगर वह तरीका रख लिया जाता है तो सब टिनेन्ट और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त के ऊपर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि उनके लिए नामुमकिन हो जायगा कि वह खातेदारी राइट्स एक्वायर करें। जिस तरह से माननीय नाथूरामजी ने यह अमेंडमेंट रखा है और उसमें सब क्लॉज (५) को

[श्री सोहनलाल भटनागर]

एड करने की बात उन्होंने रखी है यदि माननीय चेयरमेन, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो उसमें इम्प्रूवमेंट का भी कम्पेन्सेशन देने का रखा है और उसमें बताया यह गया है कि किसी के इम्प्रूवमेंट की जो एक्जिस्टिंग कीमत उसकी होगी वह जो बाज़ारू कीमत होगी, वह इम्प्रूवमेंट की रकम उस लेन्ड होल्डर को दी जायगी। माननीय चेयरमेन, आज १० वर्ष पूर्व एक लेन्ड होल्डर के ४००) रू० एक कुए में लगें या एक हजार रुपये लगें तो आज लेबर और मेटिरियल की कीमत चार गुना होगई है। उसके बाद वह उसकी इनफ्लेटेड प्राइस इतनी सबटिनेन्ट और टिनेट्स ऑफ खुदकाश्त को देनी पडेगी।

इस तरह से इम्प्रूवमेंट के डेफिनिशिन को आप मुलाहिजा करेंगे तो विदित होगा कि एक छोटी सी झोंपडी बना दी या पत्थर चुन दिये तो यह इतनी वाइड डेफिनिशन है कि हरेक छोटे छोटे काम के लिए, जिसके लिए कि सब टिनेन्ट टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को मुश्किल होगा यह बताना कि यह जो किये गये हैं वह लेन्ड होल्डर ने किये हैं या उन्होंने। ऐसी सूरत में वहइम्प्रूवमेंट की डेफिनिशन में आ जायेंगे और उस सब टनेन्ट या टेनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिए खातेदारी राइट्स एक्वायर करने में बड़ी मुश्किल हो जायगी। इस तरह से आगे भी आप मुलाहिजा करेंगे तो विदित होगा कि कि उनको रेन्ट और २० गुना मुआवजा देना पड़ेगा और इम्प्रूवमेण्ट का मुआवजा देना पड़ेगा। रेन्ट खातेदारी राइट्स के मुआवजेके इन्स्टा- लमेंट पूरे नहीं हो जांय तब तक देना पड़ेगा। इतना भारी बोझा सब टेनेन्ट आफ खुदकाश्त नहीं उठा सकेंगे और सभी हक जो बताये गये हैं वृथा जायेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मि० चेयरमेन, सर, खण्ड १६ बी में जो तरमीम श्रीनाथूराम जी मिर्धा ने रखी है और सब क्लॉजेज़ (५),(६) और ७ को जोड़ने के लिए उन्होंने आपके सामने तजवीजरखी है। वह जहां तक मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है। इस क्लॉज़ १६ बी में कुछ उन आदमियों को कम्पेन्सेशन देने की बात सोचते हैं कि जिन्होंने जमीन पर कूआ बनाया है या और किसी भीतरह से बारानी जमीन को चाही करने में सहायता दी है या और किसी किस्म का इम्प्रूवमेंट किया है। उसका सिद्धान्त जहां तक कम्पेन्सेशन देने का है वह सही है और कम्पेन्सेशन उनको दिया जाना वाजिब है। प्रश्न यह है कि क्या कम्पेन्सेशन उनको दिया जाय और किस तरह से यह कम्पेन्सेशन निर्धारित किया जाय कि जिससे एक तरफ जिन लोगों ने कूए बनाये हैं उनको भी हानि न हो और दूसरी तरफ यह भी खयाल रखा जाय कि जिनसे यह कम्पेन्सेशन दिलाया जायगा वह भी इस स्थिति में हैं या नहीं कि इतना अधिक बोझ उठा सकें ?

हमारे यहां नाल बांट की खास समस्या है। सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स और जोधपुर के डिविजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट ही मेरी जानकारी में हैं कि जहां यह समस्या खास है, क्योंकि बाकी जगह तो बांध बने हैं छोटे व बड़े, या तालाबों से खेती होती है या बिल्कुल ही खेती नहीं होती है चाही की। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सैंकड़ों लोगों की जमीनों का अभी इन्तजाम हुआ है। हमने टिनेन्सी एक्ट में सिद्धान्त रूप में माना है कि जमीन जहां पर काश्तकार काश्त करता है और जिस दिन से यह एक्ट फोर्स में आयेगा उस दिन, जो भी काश्तकार काश्त करता होगा, जो कि

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

सब टिनेन्ट नहीं है या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं है तो उसको खातेदारी हक़ूक दे देंगे, चाहे वह काश्तकार १२ महीने पुराना ही हो । बरखिलाफ उसके अब जो सब क्लॉजेज़ श्री नाथूरामजी ने तरमीम के लिये पेश किये हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि अगर एक काश्तकार एक जमीन पर १०० साल से काश्त करता है और आज उसको उस जमीन पर खातेदारी हक़ूक मिल गये हैं इस एक्ट के तहत, लेकिन कूए की जो मिल्कियत है वह दरअसल में उस आदमी को ही रहेगी जिसने कि कूए को बनाया है; लेकिन उसको कम्पेन्सेशन देने का जो तरीका उन्होंने बताया है वह बिल्कुल गैरवाजिब है ; जैसा कि इस सदन को बहुत अच्छी तरह पता है कि विधान सभा बनने के पहले और कांग्रेसी मंत्री मंडल के पहले हमारे इलाकों में आधा बांटा लिया जाता था ।

नालबंट की प्रथा ऐसी है कि एक जागीरदार की जमीन में खुद जागीरदार या दूसरे लोग कूआ बनाते हैं। यदि दूसरे लोग कूआ बनाते हैं तो वे "दामी" के रूप में एक आना या दो आना बीघा के हिसाब से जागीरदार को देते हैं, जिसको "दामी" कहते हैं और सारा हक, लागबाग लेने का, काश्तकार रखने का, काश्तकारों को छुड़ाने आदि का नालबट होल्डर को होता है और नालबट होल्डर कहीं दूसरा बांटा, कहीं तीसरा बांटा किसानों से लेता है । जिन नालबट होल्डरों के पास ५०.६० वर्ष पुराने कुए हैं उन्होंने यदि उस जमीन पर एक हजार रुपये इन्वेस्ट किये थे तो उनको एक लाख रुपयों से ज्यादा फायदा हो चुका है और वे रुपये उठा चुके हैं । सन् ५१ में चौथा बांटा हुआ और सन् ५२ की मई में छठा बांटा हुआ । ऐसी सूरत में आज उनको कम्पेन्सेशन देते वक्त यह मानलें कि कूए की बाजारू कीमत क्या है । उसके आधार पर उनको कम्पेन्सेशन देना चाहिये; तो मैं समझता हूं कि कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो इतनी ज्यादा कीमत दे सके । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिये जिससे कम्पेन्सेशन इस आधार पर दिया जाय कि जिन्होंने ज्यादा फायदा उठाया है उनको कम कम्पेन्सेशन दिया जाय और जिन्होंने कम फायदा उठाया है उन्हें ज्यादा मिले । कूए की कीमत निकालने में मेरी खिलाफत नहीं है, लेकिन बाद में हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो कूआ ५० या ६० साल पुराना है या ५० या ६० साल पहले बना है, उस कूए के नालबंट होल्डर को नोमिनल कम्पेन्सेशन दिया जाय और इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिये क्योंकि उन्होंने ज्यादा लगान लेकर काफी फायदा किसानों से उठाया है । जो कूए २० साल पुराने हैं उनके लिये हम यह सोच सकते हैं कि कीमत का १।४ या १० वर्ष पुराना है, उनको आधी कीमत और जो १० वर्ष से ५ वर्ष पुराने हैं उनको तीन चौथाई कीमत या रुपये में बारह आना कीमत दे सकते हैं और जो ५ साल से इधर के बने हुये हैं जिनको कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि एक तरफ तो चौथे और छठे बांटे का कानून बना और दूसरी तरफ काश्तकारों में ज्यादा रेन्ट नहीं देने की प्रवृति हुई, इस कारण उनको फायदा नहीं हो सका उनको पूरी कीमत मार्केट रेट से दिलाई जा सकती है, जो वाजिब हो सकती है । यह सब टिनेन्ट जो खातेदारी हक लेगा उस पर लागू होनी चाहिये या जैसे सब क्लॉज़ (६) में आया है, जिनको खातेदारी हक मिल चुके हैं और जो कूए की मिलकियत में हिस्सा लेने के लिये तत्पर हैं उनको कूए की कीमत देने के लिये बाध्य करेंगे । इसमें यह लिखा है कि जो केरा में अदा करता है उससे ५ साल की

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

एवरेज ली जायगी और जो काइन्ड में अदा करता है उससे भी ५ साल की एवरेज निकाल कर १५ गुना और २० गुना लिया जायगा। आप अंदाज लगाइये कि एक एक कूए की कितनी कीमत देनी पड़ेगी? मान लीजिये कि १०० बीघा में कूआ है, जिसमें १०० मन की उपज गिन लीजिये। यह ५ साल में कितनी होगी? ५२ और ५३ के दो साल निकाल दीजिये तो ३ साल का एवरेज ८० मन कूए का आयगा और उसका १५ गुना १२०० मन अनाज होगा। कूए की कीमत अनाज में निकाल लेंगे तो १२०० मन अनाज होगा। यदि ५ रू.) मन अनाज का भाव मान लें तो १२०० मन के केवल ६०००) रू. होते हैं। ६००० रूपये सिर्फ कूए के कम्पेन्सेशन के लिये देने पड़ेगें और इसके अलावा खतेदारी हक के १० या ५ टाइम्स आप एवरेज पर मुकर्रर करेंगें तो उनके अनुसार कम से कम ८ या १० हजार रूपये एक काश्तकार को देने पड़ेंगे और खातेदार को ५ या ६ हजार रूपये अदा करने पड़ेगें जिनको आज की हालत में कोई काश्तकार अदा नहीं कर सकेगा जब कि ५ या ६ हजार में तो नया कूआ बन सकता है और जब पुराना कूआ बना था तब ५००),७००) रूपये ही लगे होंगें। पहले लेबर सस्ता था और फिर उस पर भी कन्सेशनल लगान वसूल किया गया, इससे उनको काफी फायदा हो चुका है। इससे काश्तकारों पर इतना बोझा लद जायगा कि जिससे कोई कम्पेनसेशन नहीं दे सकेगा। यदि ऐसी है तो उसे कोई काश्तकार पसन्द नहीं करेगा कि इन कूओं में हक लें। इसलिये मैं गुजारिश करता हूं कि मौजूदा स्थिति में सब क्लॉज़(५),(६)और(७) हैं वे नहीं रहने चाहिये और उसके लिये या तो सरकार व्यवस्थित रूप से प्लान के साथ आवे या रूल्स बनाने की व्यवस्था कर दी जाय कि इस किस्म से कम्पेन्सेशन डिटर्मिन किया जायगा, कितने गुना और किस तरह से किया जायगा यह इसमें लिखा हो। मैं गुजारिश करता हूं कि हम २० गुना कम्पेनसेशन, जो बहुत बड़ी संख्या है, न तो इतना ज्यादा दिया जा सकता है और न डिटर्मिन करने के तरीके से मैं सहमत हूं। मैं ही नहीं बल्कि कोई प्रगतिशील आदमी इसको पसन्द नहीं कर सकता।

दूसरी तरमीम श्री मिर्धाजी ने तरीके के संबंध में रखी है, उसमें श्री श्यामलालजी गोयल ने शब्दों में हेरफेर की तरमीम रखी है। मैं उनसे सहमत हूं। वे शब्द आवश्यक हैं क्योंकि आपने व्यवस्था नहीं की है कि यदि लेंड होल्डर कोंटेस्ट नहीं करे तो उसमें क्या होगा। सब क्लॉज़ (३) में यह व्यवस्था है कि : "If the land-holder contests the application, the Sub-Divisional Officer may after holding such enquiry as he may deem necessary either reject the application if it contravenes the provisions of this Chapter or grant khatedari rights snbject to the provisions hereinafter contained." तो ऐसा आपने कहीं नहीं लिखा है कि यदि कॉंटेस्ट नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? या तो उसमें ऐसा आना चाहिये कि कॉंटेस्ट नहीं करेगा तो एक्सपार्टी ग्रांट कर देगें; यदि यह नहीं लगाते हैं तो आपको यह करना पडेगा। "If the land-holder contests the application" आगे तो दोनों आजायेगें। "the Sud-Divisional Officer may after holding such enquiry either reject the application..." इसका मतलब यह होगा कि चाहे लेंड होल्डर आवे या नहीं आवे; दरख्वास्त पेश करने के बाद यह लाजमी

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

रख दिया गया है कि एस. डी. ओ कम्पेनसेशन डिटर्मिन करने के लिये इन्क्वायरी करे। यदि वह आता है तो अच्छा है और यदि नहीं आता है तो इन्क्वायरी करके फैसला दे सकता है। यदि ये शब्द ओमीट हो जांय तो अच्छा होगा : 'If the land-holder contests the application'

इसके अलावा मौजूदा क्लॉज़ ऐसा है : "If the land-holder contests the application, the S. D. O. may after holding such enquiry as he may deem necessary either reject the application if it contravenes the provisions of this Chapter or grant khatedari rights subject to the provisions hereinafter contained." लेकिन आपकी जो १९ बी ओरिजिनल क्लॉज़ है उसमें तरमीम के जरिये यह बताया है कि :

"Acquisition of khatedari rights--A tenant of khudkasht or a sub-tenant of land, other than a grove land, who, at the commencement of this Act was in possession of land which had been let or sub-let to him shall have the right to apply to the Sub-Divisional Officer in the grescribed form for the acquisition of khatedari rights and the right in improvements" पहले यहां 'एन्ड राइट टू इम्प्रूवमेंट नहीं था, जो अब रखा है। खातेदारी में आना चाहिये—" grant khatedari rights and rights in improvements subject to the provisions hereinafter cotained." जहां खातेदारी राइट्स हैं वहां "and rights in improvement" शब्द भी बढ़ाने चाहिये क्योंकि दरख्वास्त देहन्दा खातेदारी राइट्स की ही दरख्वास्त नहीं देगा। 'एण्ड' लिख कर यहां मजबूर किया है कि इसके अन्दर इम्प्रूवमेंट हों उसके लिये भी दरख्वास्त देगा और इस तरह सम्बन्धित अधिकारी को खातेदारी राइट्स के साथ साथ इम्प्रूवमेंट के हक़ूक के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा। इसलिये वहां "and rights in improvement " बढ़ाना चाहिये

जो सब क्लॉज़ (४) है उसमें आपने लिखा है—"The Sub—Divisional officer for the grant of khatedar rights" यहां भी "and rights in improvement" बढ़ेगा, "and rights in improvements to the applicant in accordance with the average price of such land after considering the claims of the-land holder."

श्री सभापति—अच्छा यह होता कि आप अपने ये अमेंडमेंट्स साफ तौर से लिख कर देते।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो अमेंडमेंट श्री श्यामलालजी ने दिये हैं उन पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति—श्री श्यामलालजी के अमेंडमेंट्स पर बोल रहे है या दूसरे अमेंडमेंट्स पर बोल रहे है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उन्हीं पर बोल रहा हूं।

Page No.65

श्री सभापति—तो फिर आप उनसे बाहर जा रहे हैं ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इम्प्रूवमेंट की बात ज्यादा बोली है, जो मैंने लिख कर अमेंडमेंट रख रखा है ।

श्री सभापति—जब तक आपका अमेंडमेंट नहीं आवेगा तब तक इस पर क्या विचार होगा ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सही है । (हंसी) हां, सही है ।

तो मैं यह समझता हूं कि "and after comsidering the claims of land-holder" जो यह श्री श्यामलालजी ने अमेंडमेंट रखा है वह जरूर बढ़ाया जाना चाहिये । मैं यह समझता था कि जो शाब्दिक झगड़े हैं उनको देख लें और जिस तरह १६ (ए) पास किया है, जो इसके तहत हैं दरख्वास्त दें इसको अच्छी तरह देख लें । यह कम्पेन्सेशन का मसला है, यह कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है । जिस तरह मौजूदा क्लॉज़ेज़ हैं जिनके बढ़ाने की श्री नाथूरामजी मिर्धा ने तरमीमें दी हैं, उनका विरोध करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह से पास नहीं होने चाहिये ।

श्री बलवीरसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय,यह जो संशोधन रखा है, यह कम से कम सीकर और झुंझुनू के लिये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब जागीरदार के या किसी टिनेन्ट के सब टिनेन्ट या खुदकाश्त ने कूआ उसके खेत में बनाया तो उसका एक रिवाज़ था, वह रिवाज आम तौर से पाया जाता है कि कुछ मदद जागीरदार या वो खातेदार जिसके खेत में वह कूआ तैयार किया जाता है वह उस किसान को कुछ रूपयों की मदद दे दे । बाकी सारा का सारा लेबर हो, मेहनत हो, वह किसान करे और इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा पैसा कूए में उसका खर्च हो तो २००-३०० रूपयों से ज्यादा खर्चा आज से पांच सात वर्ष पहले तक नहीं आता था । ज्यादातर कूए ऐसे भी हैं जिनमें सब टिनेन्ट ने या खुदकाश्त टिनेन्ट ने कूए बनाये, उन्होंने अपने पैसे से और अपनी मेहनत से कूए बनाये और इस तरह के कूओं की संख्या वैसे कूओं से कम नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा हो सकती है । तो ऐसी सूरत में इस तरह से रख दिया गया तो रोजाना इस तरह के झगड़े होंगे कि यह हमारा ही इम्प्रूवमेंट किया हुआ है जब कि वास्तव में इम्प्रूवमेंट सब टिनेन्ट का किया हुआ है या खुदकाश्त टिनेन्ट का किया हुआ है, जो आज जमीन के काबिज़ हैं । किसी जागीरदार के सब टिनेन्ट ने अपनी मेहनत से या जागीरदार के थोड़े पैसे की इमदाद से इम्प्रूवमेंट किया हो तो उसमें जो खर्चा हुआ, जागीरदार से जो कुछ मदद मिली थी उसका कन्सीडरेशन होना चाहिए । आज तो बाजारू कीमत बहुत बढ़ी हुई है, आज के वक्त यदि किसान कूआ बनाना चाहे तो ५००) रूपया या १०००) रूपया या इससे ज्यादा भी खर्चा उसे आज करना पड़ता है । अब जो सब टिनेन्ट से जागीरदार को कम्पेनसेशन दिलाने का तरीका रखा है वह इस तरह का है कि किसान को कई हजार रूपये कम्पेन्सेशन के रूप में जागीरदार को देने पड़ेंगे । यदि किसान इतना कम्पेन्सेशन दे सकता होता तो बहुत

Page No.66

[श्री बलवीरसिंह]

पहले ही खातेदारी राइट्स ले लेता और वह भी पट्टे करा कर जागीरदार की तरह या यू. पी. और पंजाब के जमींदारों की तरह आराम से जमीन का मालिक रहता, किन्तु आज वह गरीब किसान जिसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने का व अपने खाने-पीने का इन्तजाम तक नहीं है, ऐसी बुरी हालत में है, इसलिये माननीय चैयरमैन, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि ऐसी तरमीम जिससे लाखों किसान बरबाद हों, अपना किया हुआ इम्प्रूवमेंट जिसमें मदद के तौर पर पैसे दिये गये हैं, इसी बिल में कम्पेन्सेट करने के नाम पर कि उसको इतना कम्पेन्सेशन दिया जाय, उस जमीन से उसको हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि वह नाल बंद का कम्पेन्सेशन नहीं दे सकता और इस तरह उसे उस कूए से और जमीन से जिस पर वह वर्षों से आबाद है, उसे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय चैयरमेन आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कानून जिससे लाखों किसान बर्बाद होते हों और थोड़े से आदमियों को फायदा होता हो, उसे नामंजूर किया जाय और मिर्धा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे अपनी इस तरमीम को वापिस ले लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सभापति, मैं समझता हूं कि अब तो इस पर बोलने वाले कोई हैं नहीं। मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ पर अन्तिम निर्णय अभी रिज़र्व रखा जावे।

श्री जवानसिंह—इसका विरोध तो हुआ ही नहीं, फिर इसको रिज़र्व रखने से क्या सेन्स है, मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विरोध के फल स्वरूप मैंने ऐसा नहीं किया है।

श्री जवानसिंह—इस क्लॉज़ पर कोई ऐसा अमेन्डमेंट नहीं है, जिसका विरोध किया गया हो। इस क्लॉज़ को आप चाहें तो एक्सेप्ट करें या गिरा दें। ऐसी सूरत में हमारा यह निवेदन है कि सदन इसको पेन्डिंग क्यों रखे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस पर आगे के क्लॉज़ेज़ पर बहस हो जाय उसको सुन कर इसका उत्तर दे दूं, इसके लिये पेन्डिंग रखने के लिये निवेदन किया है।

श्री जवानसिंह—मैं यह कहूंगा कि उधर के एक व्यक्ति ने इसका विरोध कर दिया है, इसके लिये इसको पेन्डिंग रखा जा रहा है, इस सदन में काम करने की यह रीति नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कोई क्लॉज़ इधर या उधर के कहने से पेन्डिंग नहीं रखा। इसलिये यह कहना कि यह वाजिब नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने दोनों तरफ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के सदस्यों से बातें की हैं और विचार जानने की कोशिश की है और आगे के क्लॉज़ेज़ के पर विचार जान कर विचार करना चाहूंगा। इसलिये इसको पेन्डिग रखने के लिये निवेदन किया है।

श्री सभापति—चूंकि मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल इस क्लॉज़ १६ (बी) का जवाब अभी देना नहीं चाहते, इसको रोकना चाहते हैं, इसलिये इस पर विचार स्थगित करते हुए आगे का क्लॉज़ १६(सी) ले लिया जाता है।

खण्ड १६ (सी)

श्री चांदमल मेहता—माननीय सभापति मैं अपना एमेन्डमेंट मूव करना नहीं चाहता, (बी) के निर्णय के बाद इसको लिया जावे में यह निवेदन करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियामाननीय सभापति, में यह निवेदन करूंगा कि (बी) का (सी) से और (सी) का (डी) से संबन्ध है। इस प्रकार के एमेन्डमेंट सब एक साथ ले लिये जावें तो मुझे जवाब देने में सहूलियत होती है।

श्री सभापति—(श्री चांदमल मेहता को संशोधित करते हुए) आप अपना एमेन्डमेंट मूव करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं।

श्री सभापति—श्री किशनलाल शाह अपना एमेन्डमेंट मव करें।

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल अपना एमेन्डमेंट मूव करें।

श्री श्यमलाल गोयल—में अपना एमेन्डमेंट मूव करना नहीं चाहता।

श्री सभापति—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सभापति, क्लज़ १६ (सी) जो मौजूदा हमारे टिनेन्सी बिल का है उसमें भी मेरा एक संशोधन है।

श्री सभापति—आपके दो संशोधन हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—वह १६ (एए) है, वह दूसरा है, वह इसके बाद का है। १६ (सी) में, जिस पर में निवेदन करना चाहता हूं वह है मेरा १६४ लिस्ट नम्बर ११ में। जो लिस्ट नम्बर ६ में है वह केन्सल हो चुका और अब जो संशोधन पेश कर रहा हूं उसका नम्बर १६४ है।

अब जो संशोधन मैंने रखा है माननीय चेयरमेन, वह यह है कि क्लॉज़ १६ (सी) में जो यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ उसके जरिये मैं यह कहता हूँ कि मौजूदा क्लॉज़ १६ सी को हटा कर इसके एवज़ में नया क्लॉज़ होगा और उसके बाद वह क्लॉज़ इस प्रकार रीड करेगा : "In clause 16C. the following be substituted for the opening para and sub-clauses (a) and (b):

"(16C) Determination of value of land for compensation:" यह हैडिंग तो ठीक है परन्तु इस सेक्शन की भाषा में चेन्ज है : "As soon as may be after the commencement of this Act, the Collector shall determine the rates at which compensation shall be payable to the land-holder in each district or part thereof for the acquisition of khatedari rights by the tenant of khudkasht or sub-tenant in the following manner; that is tosay,-

(a) the Collector shall first divide each kind of irrigated and unirrigated land of the district or part thereof into three categories, namely:-

(i) above average, (ii) average, (iii) below average;

(b) the rate of compensation for each category of such land shall be provisionally determined by the Collector having regard to the following matters, namely:—

(i) where rents are payable in kind by tenants of khudkasht or sub-tenants, the produce of crops normally grown in each category of the land during the ten years immediately preceding the year in which the estimate is made shall be determined in respect of each harvest and the average price of such produce in respect of one year shall be determined on the basis of the average of the prices prevailing during the period of ten years.

(ii) one-sixth of the average price of the annual produce as determined under part (i) shall be deemed to be the rent payable by the tenant of khudkasht or sub-tenant to the land-holder.

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(iii) where rents are payable in kind (Cash) by tenants of khudkasht or sub-tenants the amount of rent for the propose of this section shall not exceed the amount fixed by the State Government under section 67 A, 67 B, 67 C or 67 F, as the case may be,

(iv) the price of each category of the land shall be fixed as follows;—

(a) above average—twenty times of the annuai rent,

(b) average—eighteen times of the annual rent,

(c) below average—15 times of the annual rent.

ये मेरे जो संशोधन हैं माननीय चेयरमेन, वे इस बात को क्लियर करते हैं कि उस जमीन का जिस जमीन पर कि उन सब टिनेन्ट्स को या खुदकाश्त के उन किसानों को, जिनको खातेदारी के हकूक हासिल करना है उनके लिए पहले कम्पेन्सेशन तय करने का क्या तरीका होगा, क्या बेसिस होगा; उसके बारे में यह कहा गया है कि हर एक अलग अलग इलाकों में वहां के कलेक्टर वहां की उन जमीनों की तीन हिस्से में आम तौर पर बाटेंगे; एक तो वह जमीन है जो कि एबव एवरेज (above everage) है;एक वह जमीन जो अवरेज किस्म की है और एक वह जमीन है जो एवरेज किस्म की जमीन से थोड़ी कम है। उन जमीनों को तीन हिस्सों में बांटने के बाद में वह कलेक्टर यह भी बतायगा कि उसका कम्पेन्सेशन किस तरह से तय किया जायगा ? कम्पेन्सेशन तय करने के लिये रेन्ट्स का और उनके प्राइसेज़ का किस तरह से तय किया जायगा वह सब क्लॉज़ (१) में दर्ज किया हुआ है और उसके बाद में जो रेन्ट होगा वह उस प्रोड्यूस का १।६ माना गया है और जो मेक्ज़िनम रेन्ट्स हैं वे खण्ड १६ के सब क्लॉज़ ७ (बी) में बताये गये हैं। यह जो क्लॉज़ थर्ड है उसमें नहीं बताया गया है और उसके बाद में वह कितने टाइम में रेन्ट का कम्पन्सेशन होगा,वह सब क्लॉज़ (बीं) के भाग(४)में बताया गया है। एबव एवरेज़ की जो जमीन होगी वह इस तरीके से एन्युआल रेन्ट और प्राइसेज़ का १।६ दोनों पर केलकुलेट होकर आयगी और उसका बीस गुना जो जिस जमीन के खुदकाश्त के किसान हैं या शिकमी किसान हैं, और काश्त कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। उसके बाद एवरेज का १८ गुना और बिलो एवरेज़ (below average) का १५ गुना मुआवजा होगा।

ये बातें जो मैंने नये संशोधन के रूप में इस क्लॉज़ में रखी हैं वे जो मौजूदा टिनेन्सी बिल का क्लॉज़ है उसकी बातों से भिन्न नहीं है, परन्तु मौजूदा क्लॉज़ जो टिनेन्सी बिल में है उसकी भाषा और शब्द इतनी अच्छी तरह से नहीं रखे हुए हैं, इसी वजह से ये संशोधन इन सारे आइडियाज़ को क्लियर करते हुए मैंने सदन के समक्ष रखे हैं और मैं आशा करता हूँ कि सदन इन पर विचार करके अपनी सहमति प्रदान करेगा।

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन अभी रखा है उसमें दो-एक बातें मुझे निवेदन करनी है। पहली तो यह बात है कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जमीन को तीन केटेगरीज़ में विभाजित करने के लिए एबव एवरेज,एवरेज और बिलो एवरेज का जो प्रोविजन रखा है,इस विषय में मुझे निवेदन करना है कि कलेक्टर किसी न किसी आधार को लेकर एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज इस प्रकार की सोइल का क्लासिफिकेशन करेगा। किन्तु मेरा निवेदन है कि कलेक्टर इस प्रकार का जो विभाजन करेगा उसके सामने कोई न कोई निश्चित आधार तो होना ही चाहिए और वह आधार प्रेस्क्राइब्ड हो अथवा वही आधार हो जो सेटलमेन्ट द्वारा निश्चित किया हुआ है। सेटलमेन्ट में अव्वल, दोयम, सोयम ये सोइल के तीन क्लास किये जाते हैं। जमीन पहली वह होती है जो अच्छी प्रकार की हो, दूसरी वह होती है जो साधारण हो और तीसरी वह होती है जो कि एवरेज से नीचे की हो। तो इस प्रकार से सोइल का क्लासिफिकेशन सेटलमेन्ट द्वारा होता है और उसमें निश्चित प्रकार का आधार होता है। अब कलेक्टर जो करेगा उसमें कोई आधार निश्चित नहीं है,इसलिए यह कर दिया जाय तो मेरे खयाल से अच्छा रहेगा।

दूसरी बात जो संशोधन के विषय में निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि इस संशोधन में 'बी' के पार्ट थ्री की लाइन फर्स्ट में :

"where rents are payable in kind by tenants••••........"

मेरा खयाल है कि यहां 'काइन्ड' गलत छप गया है और यदि यह गलती छपी हुई नहीं मानी जाती है तो यह संशोधन गलत पेश किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—टाइप मिस्टेक है।

श्री तनसिंह— टाइपिंग मिस्टेक है तो यह माना जाय कि यहां केश होगा और वहां भी केश होना चाहिए, जहां सेक्शन १६ के ए, बी, सी, एफ से सम्बन्ध रहता है। मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक संशोधन कर दिया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, अभी माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके विरोध में बोलना चाहता हूँ। आज राजस्थान की जैसी स्थिति है और उसमें सब टिनेन्ट को देखा जाय तो वे लोग हैं जो भूमिहीन किसान के नाम से प्रचलित हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि यह कानून एक प्रगतिशील कानून बनने जा रहा है और किसानों को राहत दी जा रही है और सब टिनेन्ट को खातेदारी के अधिकार देने की बात कहते हैं तो इस बिल में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट द्वारा जो पेश हो चुकी है उस वक्त ऐसी स्थिति थी यह उन्होंने मन्जूर किया तो आज मैं समझ नहीं पाता कि इस प्रकार आज उसमें संशोधन लाने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई। माननीय चेयरमेन, निश्चित गुना मुआवजा देने की बात कह कर हम उन सब टिनेन्ट पर जबरदस्ती वह थोपना चाहते हैं। जो गवर्नमेन्ट ने उचित समझा है और जिस तरह

Page No.71

[श्री कंवरलाल जेलिया]

से कलेक्टर वहां की परिस्थिति को देखते हुए तय करेगा और निश्चित अवधि पर ले लेगा और सब टिनेन्ट्स के खातेदारी के हकूक मिल जावेंगे तो फिर इस प्रकार मुआवजा दिलाकर क्यों सबटिनेन्ट्स के हकों पर कुठाराघात करते हैं, यह जरा समझ में नहीं आता है।

जहां तक मिर्धा साहब को यह अन्देशा हो रहा है कि खातेदार को वाजिब हक नहीं मिल पायेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आप सब-टिनेन्ट को अधिकार देना चाहते हैं तो जमाने की रफ्तार को देखते हुए आप ही थोड़ी उदारता से विचार करें और किसी तरह से आप उनको जमीन देकर उनके हितों का संरक्षण चाहते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप उनके हितों की रक्षा कीजिये। आपके हित का सवाल आता है वहां कोई भी सरकार होगी यह उसकी जिम्मेदारी है और सरकार कभी आपके अधिकारों पर ज्यादती नहीं होने देगी।

मैं समझता हूँ कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और जो क्लॉज़ सरकार द्वारा रखा गया है वह ज्यों का त्यों पास होना चाहिए। यदि मिर्धा साहब अपने संशोधन को ही आवश्यक मानते हैं, सब टिनेन्ट्स के मामलों पर तो जरा वे खुलासा कर दें कि वे इसको क्यों आवश्यक मानते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता हुई ? उसके पश्चात् ही उसको मंजूर करना चाहिए। यदि मिर्धा साहब का क्लॉज़ मंजूर होता है तो सब टिनेन्ट जिनके पास जमीन है और जो आरजी जमीन जोत रहे हैं उनके हित सुरक्षित होंगे, यह मैं नहीं मानता और आप साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें प्रगतिशील कानून बनाना चाहिए। उसमें उन काश्तकारों का हित रखिये जिनके पास जमीन नहीं है और जो दूसरों को जमीन को जोतते हैं। अगर इस धारा को मंजूर किया गया तो उससे सब टिनेन्ट्स पर आर्थिक वजन होगा और जो वास्तव में उनको जमीनों पर हक मिलने चाहिये वे नहीं मिल सकेंगे। सरकार द्वारा जो धारा रखी गई है वह ज्यों की त्यों ही पास होनी चाहिए और इस पर संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसका खुलासा करें कि सरकार को क्योंकर आवश्यकता हुई।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह)—समय हो गया है। आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल के लिये ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि कल लोकल होलिडे होने से बैठक नहीं होगी। कल आठ बजे सुबह सभा की कार्यवाही फिर प्रारम्भ होगी।

(सदन की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक २६ अगस्त, १९५४ के ८—०० बजे प्रात: काल तक के लिये १२—०० बजे स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन
जयपुर,
दिनांक, २५ अगस्त, ५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न कर्त्ता की अनुपस्थिति में सदन को मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

1624. (132 M. H. M.) Shri H. K. Vyas, M. L. A., (Div. No. 160): Will the Minister for Public Health be pleased to answer :

(a) Is it a fact that a complaint accompanied by an affidavit, duly drawn in the Court at Sojat City, was lodged with the Chief Secretary, Government of Rajasthan sometime in August or September, 1952 against the Radiologist of the Medical Hospital, Jodhpur for having demanded and received an illegal gratification of Rs. 200/from an indoor patient of the M. G. Hospitl ?

(b) If so, was any enquiry ordered ?

(c) What is the present stage of that enquiry ?

उत्तर

(क) जांच करने पर भी ऐसी किसी शिकायत का आना नहीं पाया गया।

(ब. स.) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न

1625. (133 M. H. M.) Shri H, K. Vyas. M. L. A., (Div. No. 160): Will the Minister for Public Health be pleased to answer :

(a) Is it a fact that the Radiologist at the M. G. Hospital. Jodhpur before the joined the service in Rajasthan was an employee of the former Bikaner State ?

(b) Is it a fact that he was made to resign on charge of misbehavionr with female patients ?

(c) Is it a fact that complaints of misdbehaviour against this person are still being made and there is lot of discentent on this point ?

(d) What action does the Government propose to take in the matter ?

उत्तर

(अ) जी हां ।

(ब) जी नहीं ।

(स) जी नहीं ।

(द) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६२८ का उत्तर देखिये)

List of the bunds repaired in the year 1953-54

TEHSIL SARWAR

1. Madan Sarowar
2. Taj Sarowar
3. Bankey Sagar
4. Jhela Bankey sagar
5. Govind Sagar
6. Gaj Sagar
7. Vijai Sagar
8. Jhela Bijai Sagar
9. Naya Sagar Birla
10. Kanwar Pada Birla
11. Ghambir Sagar
12. Gola Sagar Jhalia
13. Hanuman Sagar Shanpla

TEHSIL KISHANGARH

1. Bund Ransamad
2. Jai Sagar
3. Khatolai

TEHSIL ARAIN

1. Bhawani Sagar
2. Madan Sagar

LIST OF TANKS TO BE REPAIRED UNDER KISHANGARH SUB DN.

Name of Tehsil	Total Number of tanks to be repaired
1. Roopan Garh	12
2. Arain	28
3. Kishangarh	27
4. Sarwar	21
Total No	88